

दिनांक 31.03.2023 को पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित)

डीएफ -1: दिनांक 31.03.2023 को प्रयोज्यता का क्षेत्र

यह समेकित पूंजी पर्याप्तता बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं इसकी अनुषंगियों के समेकित वित्तीय विवरणों पर आधारित है जिसे समेकित लेखा तथा मात्रात्मक पद्धति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्र आरबीआई/2022-23/12 डीओआर.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बीमा और गैर-वित्तीय अनुषंगियों को समेकन से अलग रखा गया है। ऐसी इकाइयां जो वित्तीय प्रकृति का कार्य करती हैं उन्हें पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से समेकन हेतु लिया गया है, जैसा कि समेकित विवेकसम्मत रिपोर्ट तैयार करने संबंधी क्षेत्र को लेकर आरबीआई के दिशानिर्देशों में इसका उल्लेख है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बैंक, लेखा मानक-21 (एस-21) समेकित वित्तीय विवरण में वाक्य-दर-वाक्य आधार पर यथा परिभाषित सभी अनुषंगियों की वस्तुओं जैसे आस्तियां, देयताएं, आय और व्यय को जोड़ते हुए समेकित करता है। इसके अलावा, सहयोगियों में निवेश का समेकन लेखा मानक-23 (एस-23) द्वारा यथा परिभाषित लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया है तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश का समेकन लेखा मानक-27 (एस-27) द्वारा यथा परिभाषित लेखांकन की समानुपातिक पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया है।

i. गुणात्मक प्रकटीकरण:

ए. दिनांक 31.03.2023 को समेकन के लिए शामिल की गयी समूह की संस्थाओं की सूची :

क्रम सं.	संस्था का नाम / निगमन का देश	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन (लेखांकन समेकन) की पद्धति का वर्णन	क्या संस्था को समेकन के नियामक दायरे के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन (विनियामक समेकन) की पद्धति का वर्णन	समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन	यदि समेकन के एक ही दायरे के अंतर्गत समेकित किया गया है तो समेकन के कारणों का वर्णन
1	नैनीताल बैंक लि./ इंडिया	हां	वाक्य-दर-वाक्य	हां	वाक्य-दर-वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं
2	बॉब कैपिटल मार्केट लि./ इंडिया	हां	वाक्य-दर-वाक्य	हां	वाक्य-दर-वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं
3	बॉब फाइनेंसिएल सोल्यूशन लिमिटेड/इंडिया	हां	वाक्य-दर-वाक्य	हां	वाक्य-दर-वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं

4	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि./ बोत्सवाना	हां	वाक्य-दर- वाक्य	हां	वाक्य-दर- वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं
5	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि./ केन्या	हां	वाक्य-दर- वाक्य	हां	वाक्य-दर- वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं
6	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि./ यूगांडा	हां	वाक्य-दर- वाक्य	हां	वाक्य-दर- वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं
7	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) लि./ गुयाना	हां	वाक्य-दर- वाक्य	हां	वाक्य-दर- वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं
8	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि./ तंजानिया	हां	वाक्य-दर- वाक्य	हां	वाक्य-दर- वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं
9	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि./ न्यूजीलैंड	हां	वाक्य-दर- वाक्य	हां	वाक्य-दर- वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं
10	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लि.	हां	वाक्य-दर- वाक्य	हां	वाक्य-दर- वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं
11	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. / इंडिया	हां	वाक्य-दर- वाक्य	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	बीमा अनुषंगी: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं है
12	भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक (मलेशिया) बीएचडी / मलेशिया	हां	समानुपाति क समेकन पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम : विनियामक समेकन के दायरे में नहीं है
13	इंडिया इफ्रा डेब्ट लि./ भारत	हां	समानुपाति क समेकन पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम : विनियामक समेकन के दायरे में नहीं है
14	इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड / जांबिया	हां	इक्विटी पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : विनियामक समेकन के दायरे में नहीं है

15	बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड/ इंडिया	हां	वाक्य-दर-वाक्य	हां	वाक्य-दर-वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं
16	बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड/इंडिया	हां	वाक्य-दर-वाक्य	हां	वाक्य-दर-वाक्य	लागू नहीं	लागू नहीं
17	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक / भारत	हां	इक्विटी पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : विनियामक समेकन के दायरे में नहीं है
18	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / भारत	हां	इक्विटी पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : विनियामक समेकन के दायरे में नहीं है
19	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक / भारत	हां	इक्विटी पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : विनियामक समेकन के दायरे में नहीं है
20	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड/इंडिया	हां	वाक्य-दर-वाक्य	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगी-विनियामक समेकन के दायरे में नहीं है
21	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी / इंडिया	हां	वाक्य-दर-वाक्य	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगी-विनियामक समेकन के दायरे में नहीं है

बी. समूह की ऐसी संस्थाओं की सूची जिन्हें समेकन के लेखांकन तथा विनियामक दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए शामिल नहीं किया गया है :

संस्था का नाम / निगमन का देश	संस्था का प्रमुख कार्य	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का (%)	संस्था के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश का विनियामक प्रबंध	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है)
शून्य					

ii. मात्रात्मक प्रकटीकरण

सी. दिनांक 31.03.2023 को समेकन के लिए शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची:

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	संस्था का नाम/निगमन का देश (जैसा कि उपरोक्त (i) में दर्शाया गया है)	संस्था का प्रमुख कार्य	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है)
1	नैनीताल बैंक लि./ इंडिया	बैंकिंग	726.69	8595.54
2	बॉब कैपिटल मार्केट लि./ इंडिया	निवेश बैंकिंग, संस्थागत ब्रोकिंग एवं धन-संपदा प्रबंधन	161.22	180.13
3	बॉब फाइनेंशियल सोल्यूशन लिमिटेड / इंडिया	क्रेडिट कार्ड एवं वैयक्तिक ऋणों के लिए उपभोक्ता वित्तपोषण	1061.55	3533.08
4	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि./ बोत्सवाना	बैंकिंग	320.88	2001.75
5	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि./ केन्या	बैंकिंग	1933.71	13049.14
6	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि./ यूगांडा	बैंकिंग	1373.87	5425.65
7	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) लि.	बैंकिंग	142.78	967.37
8	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि./ तंजानिया	बैंकिंग	173.46	829.70
9	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि./ न्यूजीलैंड	बैंकिंग	268.75	714.01
10	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लि.	बैंकिंग	1668.38	8186.76
11	इंडिया फर्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि./ इंडिया	जीवन बीमा	1072.19	22502.00
12	भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक (मलेशिया) बीएचडी / मलेशिया	बैंकिंग	603.05	863.01
13	इंडिया इन्फ्रा डेब्ट लि./ भारत	इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड	2922.44	19315.57
14	इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड/ जांबिया	बैंकिंग	807.77	6385.48
15	बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड/ इंडिया	आस्ति प्रबंधन	154.15	199.96

16	बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी कं. प्राइवेट लिमिटेड/ इंडिया	एएमसी की होल्डिंग कम्पनी	0.25	0.44
17	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक / भारत	बैंकिंग	2551.44	64909.41
18	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ भारत	बैंकिंग	2703.86	32933.19
19	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक / भारत	बैंकिंग	510.23	12728.93
20	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विस लिमिटेड / भारत	प्रक्रिया का डिजिटलीकरण एवं केंद्रीकृत बैंक ऑफिस परिचालन	39.55	56.51
21	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड / भारत	उत्कृष्टता का आईटी केंद्र	4.59	4.69

डी. उन सभी अनुषंगियों में पूंजीगत न्यूनता की कुल राशि जो समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं की गई हैं अर्थात् जो घटा दी गई है :

अनुषंगियों का नाम / निगमन का देश	संस्था का प्रमुख कार्य	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक धारिता का %	पूंजीगत कमियां
शून्य				

ई. जोखिम-भारित बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल ब्याज की समग्र राशि (अर्थात् वर्तमान बही मूल्य) :

बीमा संस्थाओं का नाम / निगमन का देश	संस्था के प्रमुख कार्य	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक धारिता का % / वोटिंग शक्ति का अनुपात	जोखिम भारित पद्धति प्रयोग करने बनाम पूर्ण कटौती पद्धति का प्रयोग करने के विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
शून्य				

एफ. बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी में कोई प्रतिबंध या अड़चन:

प्रतिबंध तथा अड़चनों के संबंध में मेजबान देशों के स्थानीय कानून तथा विनियम लागू हैं।

डीएफ 2. दिनांक 31.03.2023 को पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(ए) बैंक की वर्तमान तथा भविष्य की गतिविधियों को संबल प्रदान करने हेतु इसकी पूंजी पर्याप्तता के आकलन पर बैंक के दृष्टिकोण की सारांश चर्चा

बैंक जमाकर्ताओं, सामान्य ऋणदाताओं तथा हितधारकों के हित को अप्रत्याशित हानियों से सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोजर, व्यवसाय इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम से बचाव के लिए पूंजी की व्यवस्था रखता है। बैंक के पास नियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों के लिए पूरी तरह से एकीकृत जोखिम/पूंजी मॉडल तैयार करने हेतु एक सुनियोजित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है ताकि सभी जोखिमों एवं उचित पूंजी आबंटन को व्यापक रूप से विकसित किया जा सके। आईसीएएपी के अंतर्गत पूंजी नियोजन व्यवसाय से पूंजी की मांग उसके संवर्धन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सकल आधार के साथ-साथ प्रमुख विधिक संस्था के रूप में स्टैंडअलोन आधार पर भी यह समूह विनिर्दिष्ट समय के लिए पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है तथा दबाव की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित पूंजी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त दबाव परीक्षण आईसीएएपी का एक प्रमुख विषय तथा जोखिम प्रबंधन ढांचे का एक अभिन्न साधन है जो कि प्रबंधन को इस विषय में बेहतर समझ प्रदान करता है कि पोर्टफोलियो विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में किस तरह से निष्पादन करता है। बैंक, प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में उस दबाव स्तर के परीक्षण के लिए रिवर्स दबाव परीक्षण करता है जिस पर पूंजी, आंतरिक पूंजी सीमा से नीचे आ जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण तथा पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण अपनाया है।

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक जरूरतों तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी, पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजीगत आयोजना की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- ❖ बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता।
- ❖ कारोबार रणनीति, नीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा सतत पूंजी
- ❖ अगले पांच वर्ष को ध्यान में रखते हुए भविष्य की पूंजीगत आयोजना।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

31.03.2023 को विविध जोखिम श्रेणियों के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं

(रु. करोड़ में)

(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
<ul style="list-style-type: none"> ● मानकीकृत पद्धति के अध्यधीन पोर्टफोलियो 	69,185.75

● प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
-------------------------	-------

(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
● मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
- ब्याज दर जोखिम	4,200.68
- विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	128.92
- इक्विटी जोखिम	1,217.15

(डी) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
● आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण	8,367.21
● मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	लागू नहीं

(ई) पूंजी पर्याप्तता अनुपात	समेकित	स्टैंडअलोन
कॉमन इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात	12.83%	12.24%
टियर I पूंजी अनुपात	14.52%	13.99%
कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	16.73%	16.24%

डीएफ 3: ऋण जोखिम: 31.03.2023 को सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ए. बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए इसकी नीति निम्नानुसार है:

● **बैंक की विगत देय और खराब आस्तियां:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) के मानदंडों अनुसार बैंक की अनर्जक आस्तियां (एनपीए) और अनर्जक निवेश (एनपीआई) विगत देय और खराब आस्तियों के तहत वर्गीकृत किए गए हैं।

● **बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम दर्शन, बैंक की संरचना और प्रणाली पर चर्चा:**

ऋण जोखिम दर्शन :

- जोखिम प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा के साथ कॉर्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ-साथ शेयरधारकों के आर्थिक मूल्य में बढ़ोत्तरी हो तथा सभी हितधारकों के हित संरक्षित हों।

- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनाए ताकि विभिन्न चैनलों को जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के अभिनियोजन के मामले में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में सुनियोजित वृद्धि से लक्ष्य प्राप्त किये जाएं।
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न उधारकर्ताओं को आवश्यकता आधारित एवं समय पर ऋण उपलब्ध कराना।
- स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए ऋण प्रबंधन कौशल को सुदृढ़ बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण पोर्टफोलियो को गुणवत्ता-युक्त बनाया जा सके।
- गुणवत्ता मूल्यांकन, त्वरित डिलीवरी एवं तत्परता के साथ मौजूदा दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हुए ऋण प्रस्तावों पर कार्रवाई करना।
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक/अन्य प्राधिकारियों के एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन करना।

बैंक की संरचना और प्रणालियां:

i. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी):

ए. बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यों विशेष रूप से देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए निदेशक मंडल द्वारा आरएमसीबी का गठन किया गया है।

iii. ऋण नीति समिति (सीपीसी):

ए. ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सीपीसी का गठन किया गया है।

बी. ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना।

iii. ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष:

ए. यह कक्ष निर्धारित सीमाओं के भीतर निर्धारण, आकलन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है।

बी. बोर्ड/नियामकों आदि द्वारा निर्धारित किए गए जोखिम मानदंड तथा विवेकपूर्ण सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन करना।

सी. जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एमआईएस का विकास करना और ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करना, समस्याओं का निर्धारण करना तथा कमियों को सुधारना।

डी. पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करना, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर व्यापक विवेचना तैयार करना, ऋण पोर्टफोलियो के लचीलेपन का परीक्षण करना आदि।

ई. निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन पर ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना।

जोखिम आकलन पद्धति का कार्यक्षेत्र और प्रकृति :

बैंक के पास अपने ऋण एक्सपोजर के लिए मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली उपलब्ध है। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता बरकरार रखना, बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋण नीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम - रिटर्न मानदंडों को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमतों को लचीला बनाना शामिल है।

बैंक की मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपना गए फ्रेमवर्क और विश्व की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह बैंक को ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं का निर्धारण करने तथा चूक की गंभीरता का पता लगाने में सहयोग करती है और इस प्रकार यह प्रणाली बैंक को पद्धति निर्माण तथा आस्ति गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ऋण एक्सपोजर में मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधाएं (अर्थात् ऋण सुविधाएं जैसे नकदी ऋण, मांग ऋण, तदर्थ सीमा, ऋण विकल्प, गैर-निधि सुविधाएं जैसे साख पत्र, स्वीकृतियां एवं बैंक गारंटियां) तथा डेरीवेटिव हेतु मौजूदा एक्सपोजर शामिल हैं।

बी. कुल सकल ऋण एक्सपोजर

(रु. करोड़ में)

विवरण	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	12,39,552.04	1,51,291.14	13,90,843.18

सी. एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:

(रु. करोड़ में)

विवरण	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर
कुल सकल ऋण एक्सपोजर: (घरेलू परिचालन + घरेलू अनुषंगियां)	10,30,410.86	1,38,669.53	11,69,080.39
कुल सकल ऋण एक्सपोजर: (विदेशी परिचालन + विदेशी अनुषंगियां)	2,09,141.18	12,621.61	2,21,762.79
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	12,39,552.04	1,51,291.14	13,90,843.18

टिप्पणी: एक्सपोजर में ऋण एक्सपोजर (निधित्व एवं गैर-निधित्व ऋण सीमाएं), निवेश एक्सपोजर (हामीदारी अंकन तथा इस तरह की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं) और डेरीवेटिव एक्सपोजर में एमटीएम तथा भविष्य के संभावित एक्सपोजर शामिल हैं।

डी. एक्सपोजर का समेकित उद्योग-वार संवितरण:

(रु. करोड़ में)

उद्योग	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर- निधि आधारित एक्सपोजर	कुल
ए. खनन एवं उत्खनन	13,314.40	2,446.42	15,760.82
ए.1 कोयला	2,067.20	487.12	2,554.32
ए.2 अन्य	11,247.20	1,959.30	13,206.50
बी. खाद्य प्रसंस्करण	23,073.52	3,991.83	27,065.35
बी.1 चीनी	2,712.18	19.07	2,731.25
बी.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	2,658.72	1,484.61	4,143.33
बी.3 चाय	441.37	13.84	455.21
बी.4 कॉफी	14.61	7.00	21.61
बी.5 अन्य	17,246.64	2,467.31	19,713.95
सी. पेय पदार्थ	1,010.47	25.93	1,036.40
सी.1 तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	663.56	13.93	677.49
सी.2 अन्य	346.91	12.00	358.91
डी. टेक्सटाइल	23,581.17	3,910.98	27,492.15
डी.1 कॉटन टेक्सटाइल	13,447.68	678.98	14,126.66
डी.2 जूट टेक्सटाइल	303.44	3.90	307.34
डी.3 हस्तशिल्प/ खादी /सिल्क/ऊनी	397.69	40.94	438.63
डी.4 अन्य टेक्सटाइल	9,432.36	3,187.16	12,619.52
ई. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	1,361.80	182.35	1,544.15
एफ. काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	1,619.55	152.11	1,771.66
जी. कागज एवं कागज उत्पाद	3,849.14	200.30	4,049.44
एच. पेट्रोलियम	38,008.18	9,631.25	47,639.43
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद	45,022.22	9,758.44	54,780.66
आई.1 उर्वरक	6,460.88	3,897.41	10,358.29
आई.2 ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल	10,918.32	2,162.10	13,080.42
आई.3 पेट्रो-केमिकल्स	5,333.65	1,201.63	6,535.28
आई.4 अन्य	22,309.37	2,497.30	24,806.67
जे. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	8,375.28	980.24	9,355.52
के. ग्लास एवं ग्लासवेयर	781.33	72.81	854.14

उद्योग	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर- निधि आधारित एक्सपोजर	कुल
एल. सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	3,194.47	825.54	4,020.01
एम. मूल धातु एवं धातु उत्पाद	27,430.25	13,677.95	41,108.20
एम.1 लौह एवं स्टील	21,683.52	11,973.04	33,656.56
एम.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	5,746.73	1,704.91	7,451.64
एन. सभी इंजिनियरिंग	21,626.70	14,544.49	36,171.19
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	1,938.78	604.70	2,543.48
एन.2 अन्य इंजिनियरिंग	19,687.92	13,939.79	33,627.71
ओ. वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन उपकरण	6,546.77	896.96	7,443.73
पी. रत्न एवं आभूषण	3,953.35	667.70	4,621.05
क्यू. विनिर्माण	21,803.08	23,298.52	45,101.60
आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,49,859.32	12,634.20	1,62,493.52
आर.1 परिवहन	42,898.55	2,521.00	45,419.55
आर.1.1 रेलवे	1,189.92	3.23	1,193.15
आर.1.2 सड़क मार्ग	40,097.63	2,485.92	42,583.55
आर.1.3 विमानन	1,239.56	4.41	1,243.97
आर.1.4 जलमार्ग	0.00	0.00	0.00
आर.1.5 अन्य परिवहन	371.44	27.44	398.88
आर.2 ऊर्जा	75,685.21	7,145.13	82,830.34
आर.2.1 गैर-नवीकरणीय ऊर्जा	56,525.90	3,752.54	60,278.44
आर.2.2 नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, वायु, हाईड्रल)	13,869.05	1,492.08	15,361.13
आर.2.3 तेल एवं गैस (भंडारण एवं पाइपलाइन)	5,290.26	1,900.51	7,190.77
आर.3 अन्य	31,275.56	2,968.07	34,243.63
आर.3.1 दूरसंचार	15,725.78	1,791.65	17,517.43
आर.3.2 जल स्वच्छता	7,889.62	303.03	8,192.65
आर.3.3 सामाजिक एवं वाणिज्यिक इन्फ्रास्ट्रक्चर	4,268.96	162.55	4,431.51
आर.3.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	3,391.20	710.84	4,102.04
एस. अन्य उद्योग	11,602.65	1,301.95	12,904.60
टी. सभी उद्योग (पूर्ण योग: ए+बी+.....+एस)	4,06,013.65	99,199.97	5,05,213.62
यू. अवशिष्ट अन्य अग्रिम	8,33,538.39	52,091.17	8,85,629.56
यू.1 विमानन क्षेत्र	11,668.84	1,384.16	13,053.00
यू. 2. एनबीएफसी	1,44,256.51	0.00	1,44,256.51
यू.3 अन्य अवशिष्ट अग्रिम	6,77,613.04	50,707.01	7,28,320.05
कुल एक्सपोजर (टी+यू)	12,39,552.04	1,51,291.14	13,90,843.18

बैंक के कुल ऋण एक्सपोजर के 5% (समेकित) से अधिक ऋण एक्सपोजर वाले उद्योग, इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	उद्योग	एक्सपोजर राशि (रु. करोड़ में)	कुल ऋण एक्सपोजर का %
1	इंफ्रास्ट्रक्चर	1,62,493.52	11.68%
2	एनबीएफसी	1,44,256.51	10.37%

ई. आस्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता का विश्लेषण: (रु. करोड़ में)

समयावधि	सेंट्रल बैंकों के पास नकदी एवं शेष	बैंक के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	अग्रिम	निवेश	अचल आस्तियां	अन्य आस्तियां	कुल
1 दिन	17,858.42	23,268.06	5,936.03	9,497.41	-	372.88	56,932.80
2-7 दिन	89.55	5,443.89	10,414.80	1,07,385.29	-	1,743.43	1,25,076.96
8-14 दिन	175.59	594.86	12,283.42	5,659.39	-	512.05	19,225.31
15-30 दिन	3,413.73	1,029.47	13,391.32	7,515.94	-	2,191.02	27,541.48
31 दिन -2 माह	1,214.64	1,599.58	21,270.58	8,744.46	0.00	2,222.74	35,052.00
2-3 माह	1,336.83	645.68	34,813.59	10,297.59	0.00	2,210.72	49,304.41
3 - 6 माह	3,170.12	7,805.98	65,022.39	21,178.08	0.00	3,804.61	1,00,981.18
6 - 12 माह	6,558.05	5,241.14	1,02,593.60	38,443.72	0.00	10,185.93	1,63,022.44
1 - 3 वर्ष	10,326.29	48.52	3,82,065.18	67,192.92	0.00	11,425.00	4,71,057.91
3 - 5 वर्ष	2,055.93	0.00	1,39,885.45	22,893.18	0.00	4,922.20	1,69,756.76
5 वर्ष से अधिक	10,497.06	0.00	1,75,975.47	98,157.30	8,956.79	12,908.37	3,06,494.99
कुल	56,696.21	45,677.18	9,63,651.83	3,96,965.28	8,956.79	52,498.95	15,24,446.24

एनपीए एवं प्रावधान मूवमेंट चार्ट :

(रु. करोड़ में)

(एफ)	एनपीए की राशि (सकल)	37,854.05
	अवमानक	5,546.60
	संदिग्ध 1	4,413.03

	संदिग्ध 2	8,997.29
	संदिग्ध 3	6,616.53
	हानि	12,280.60

(रु. करोड़ में)

(जी)	निवल एनपीए	8,792.00
------	------------	----------

(एच)	एनपीए अनुपात	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए	3.83%
	निवल अग्रिमों में निवल एनपीए	0.92%

(रु. करोड़ में)

(आई)	एनपीए (सकल) का मूवमेंट	
	प्रारंभिक शेष (01.04.2022 तक)	55,128.17
	योग	10,471.42
	कटौती	28,792.05
	अन्य कोई समायोजन (विनिमय अंतर)	1,046.51
	अंतिम शेष	37,854.05

(रु. करोड़ में)

(जे)	प्रावधानों का मूवमेंट		
		सामान्य प्रावधान	विशिष्ट प्रावधान
	प्रारंभिक शेष	7,271.35	41,224.13
	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	611.60	9081.60
	अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़े खाते डालना/ प्रतिलेखन	0.00	22,071.57
	अन्य कोई समायोजन (विनिमय अंतर)	62.06	751.92
	अंतिम शेष	7,945.01	28,986.08*
	ऐसे बढ़े खाते जो सीधे ही आय विवरण में शामिल किए गए हैं	1,946.62	
	वसूली, जो सीधे ही आय विवरण में शामिल की गई है	4,780.79	

*प्रावधान की राशि में रु. 75.97 करोड़ शामिल नहीं है (रु. 12.00 करोड़ एफआईटीएल खातों में ब्याज पूंजीकरण से संबंधित समायोजन की राशि है और रु. 63.97 करोड़ नैनीताल बैंक के फ्लोटिंग प्रावधानों और ऋण सब्सिडी की राशि है)। अंतिम निवल एनपीए स्थिति को ज्ञात करने के लिए इस राशि की अतिरिक्त कटौती की गई है।

(रु. करोड़ में)

	अनर्जक निवेश	
(के)	अनर्जक निवेशों की राशि	4,503.34
(एल)	अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	4,193.85

राशि करोड़ में

(एम)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का संचलन	
	प्रारंभिक शेष	5,028.49
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	2,598.86
	बट्टे खाते डालना	576.43
	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन (विनिमय अंतर)	1,094.37
	अंतिम शेष	5,956.55

(रु. करोड़ में)

(एन)	बड़े उद्योगों द्वारा एनपीए			
		उद्योग	बकाया कुल एनपीए शेष राशि का % (एफबी+ एनएफबी)	बकाया एनपीए शेष राशि (एफबी+ एनएफबी)
		इंफ्रास्ट्रक्चर	4.79%	1,813.84
		सभी इंजिनियरिंग	4.99%	1,887.81
		केमिकल एवं केमिकल उत्पाद (डाइ, पेंट आदि)	4.29%	1,625.28
		टेक्सटाइल	3.44%	1,304.03
		बेसिक मेटल एवं मेटल उत्पाद	1.78%	675.24
	ए. उपर्युक्त उल्लिखित 5 उद्योगों के लिए विशिष्ट प्रावधान			
	बी. चालू अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट प्रावधान			
	सी. चालू अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाले गए			

(रु. करोड़ में)

(ओ)	प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के मदवार सकल एनपीए की राशि		सकल अनर्जक आस्तियां
		घरेलू परिचालन	26,579.05
		घरेलू अनुषंगी	610.39
		अंतर्राष्ट्रीय परिचालन	10,184.64
		अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी	479.97

(रु. करोड़ में)

	उपर्युक्त के लिए विशिष्ट प्रावधान		विनिर्दिष्ट प्रावधान
		घरेलू परिचालन	18,799.88
		घरेलू अनुषंगी	399.54
		अंतर्राष्ट्रीय परिचालन	9,567.48
		अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी	219.18

डीएफ 4: ऋण जोखिम: 31.03.2023 को मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ए. मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो हेतु

i. बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां:

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, बैंक घरेलू क्रेडिट एक्सपोजर के लिए भारतीय रिजर्व द्वारा अनुमोदित बाह्य क्रेडिट आकलन संस्थानों (ईसीएआई) जैसे एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूट), क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई), क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड (CRISIL), आईसीआरए लिमिटेड (आईसीआरए), इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स) और इंफोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (इंफोमेरिक्स) की रेटिंग स्वीकार करता है। विदेशी ऋण जोखिमों के लिए बैंक स्टैंडर्ड एंड पूअर्स, मूडीज और फिच की रेटिंग स्वीकार करता है।

ii. एक्सपोजर के प्रकार :

बैंक एनबीएफसी, कॉर्पोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था (पीएसई) के उधारकर्ताओं को ईसीएआई से रेटिंग लेने को प्रोत्साहित करता है और जहां कहीं ऐसी रेटिंग उपलब्ध है, वहां जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंग का उपयोग करता है।

iii. बैंकिंग बही में सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को समतुल्य आस्तियों में अंतरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का विवरण

बैंक का बाह्य रेटिंग ऐप्लिकेशन फ्रेमवर्क निम्नानुसार है:

1. बैंक केवल उन्हीं रेटिंग का प्रयोग करता है जो प्रतिपक्ष द्वारा मंगवाई जाती हैं। विदेशी सॉवरेन तथा विदेशी बैंक के एक्सपोजर के लिए जोखिम भार उन्हें दिए गए इश्युअर रेटिंग के आधार पर होंगे।
2. बैंक सभी पात्र उधारकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित ईसीएआई से ऋण रेटिंग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, और जहां ऐसी रेटिंग उपलब्ध हो वहां इन रेटिंग को जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए उपयोग करता है।
3. जिन सुविधाओं के लिए एक से अधिक रेटिंग हों उनके लिए आरबीआई की विशिष्ट शर्तें लागू हैं। इस संदर्भ में, दो न्यूनतम जोखिम भार के समनुरूप रेटिंग को संदर्भित किया जाए और उन दो जोखिम भार के उच्चतम अर्थात् दूसरी निम्नतम जोखिम भार का प्रयोग किया जाए।
4. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि बाह्य रेटिंग की सुविधा/ उधारकर्ता की समीक्षा ईसीएआई द्वारा पिछले 15 महीनों में कम से कम एक बार की गई है और आवेदन की तारीख को प्रभावी है।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक के 01 अप्रैल, 2022 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंकिंग प्रणाली से 100 करोड़ से अधिक के कुल एक्सपोजर वाले कॉर्पोरेट, एएफसी तथा एनबीएफसी-आईएफसी से संबंधित दावे जो पहले रेट किए गए थे और बाद में रेट नहीं किए गए तथा बैंकिंग प्रणाली से रु. 200 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले खाते जो रेट नहीं किए गए हैं, को 150% पर जोखिम भारित किया जाएगा।

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बी. प्रमुख तीन जोखिम समूहों में मानकीकृत दृष्टिकोण (रेटेड और अनरेटेड) के अनुसार जोखिम कम करने के पश्चात एक्सपोजर राशि निम्नानुसार है।

(रु. करोड़ में)	
जोखिम भार की श्रेणी	कुल
100% जोखिम भार से कम	9,59,873.26
100% जोखिम भार	2,72,345.45
100 % जोखिम भार से अधिक	52,239.28
ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) कटौती*	1,06,385.19
सीआरएम सहित कुल एक्सपोजर (एफबी + एनएफबी)	13,90,843.18

*सीआरएम में एनपीए खातों पर प्रावधान शामिल हैं।

डीएफ-5: ऋण जोखिम न्यूनीकरण: 31.03.2023 को मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ए. जोखिम ऋण न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बैंक द्वारा ऑन एण्ड ऑफ़ तुलन-पत्र समायोजन की अधिकतम सीमा के लिए नीति एवं प्रक्रिया तथा संकेत :
- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं:

बैंक अपने ऋणकर्ताओं के एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां (जिसे संपार्श्विक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है) प्राप्त करते हैं। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ ऋण जोखिम को कम करने के संबंध में एक्सपोजर न्यूनीकरण को अपनाया है। जहां कहीं कॉर्पोरेट गारंटी ऋण जोखिम को कम करने के रूप में उपलब्ध है, ऋण जोखिम उपलब्ध गारंटी की सीमा तक गारंटीदाताओं को अंतरित किया जाता है।

बैंक के पास बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन से संबंधित सुनिर्धारित नीति है। नीचे क्रम सं. (iv) से (x) पर उल्लिखित प्रतिभूतियां ऋण जोखिम हेतु बासेल III मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत बासेल III मानदंडों के निम्नलिखित व्यापक दृष्टिकोण सहित एक्सपोजर-नेटिंग हेतु ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- बैंक द्वारा लिए गए मुख्य प्रकार के संपार्श्विक के विवरण:

सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियां (प्राथमिक प्रतिभूतियां हों अथवा संपार्श्विक प्रतिभूतियां) ली जाती हैं:

- (i) स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियां आदि।
- (ii) भूमि, इमारत, प्लांट एवं मशीनरी जैसी अचल आस्तियां।
- (iii) अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर।
- (iv) बैंक द्वारा धारित जमाराशियां।
- (v) एनएससी, केवीपी, एलआईसी पॉलिसियां, केंद्र एवं राज्य सरकारों आदि द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां इत्यादि।
- (vi) ऋण प्रतिभूतियां- कतिपय शर्तों के साथ - अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग की गई।
- (vii) ऋण प्रतिभूतियां- कतिपय शर्तों के साथ - बैंक द्वारा जारी - रेटिंग नहीं की गई।

- (viii) म्यूचुअल फंडों की यूनिट
- (ix) गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन।
- (x) स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण।

○ मुख्य प्रकार के गारंटर प्रतिपक्षी एवं उनकी ऋण पात्रता:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटियां)
- कॉर्पोरेट/ पीएसई
- केन्द्र सरकार
- राज्य सरकार
- निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन (ईसीजीसी)
- क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई)

सॉवरेन, सॉवरेन संस्थाओं (केंद्र एवं राज्य सरकार की गारंटियों, ईसीजीसी, सीजीटीएमएसई, बैंकों एवं पीएसई द्वारा समर्थित एक्सपोजर सहित) द्वारा दी गयी ऋण सुरक्षा पर काउंटर पार्टी की तुलना में कम जोखिम भार होगा।

○ जोखिम न्यूनीकरण के भीतर लिए गए अंतर्निहित जोखिम संबंधी जानकारी (बाजार या ऋण):

बैंक के पास विभिन्न प्रकार के आस्ति पोर्टफोलियो हैं जो विभिन्न प्रकार के संपार्श्विक से प्रतिभूत हैं जिसमें उपर्युक्त सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक, सॉवरेन द्वारा गारंटी और अच्छी रेटिंग वाले कॉर्पोरेट तथा अचल संपत्ति व प्रतिपक्षी चालू आस्तियां शामिल हैं।

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बी. प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर, जो कि पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया गया है, मार्जिन लगाने के पश्चात निम्नानुसार है (31.03.2023 को):

(रु. करोड़ में)

ऋण जोखिम पोर्टफोलियो	कुल
बैंकों पर दावे	201.63
वाणिज्यिक रियल इस्टेट	1,515.70
कॉर्पोरेट	33,459.22
घरेलू सॉवरेन	203.45
विदेशी सॉवरेन	0.22
अन्य आस्तियां	649.42

सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था	3,698.50
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो	23,366.17
आवासीय संपत्ति	1,154.87
विनिर्दिष्ट श्रेणियां	42,136.01
प्राथमिक डीलर्स	0.00
एमडीबीएस, बीआईएस एवं आईएमएफ	0.00
कुल	1,06,385.19

(रु. करोड़ में)

सी. अलग से प्रकटीकृत प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (ऑन एंड ऑफ़ तुलन-पत्र नोटिंग के बाद, जहां लागू हो) जो गारंटी/ ऋण डेरिवेटिव द्वारा कवर किए गए हैं। (जहां भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमत हो)	88,351.64
---	------------------

डीएफ़ 6. प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: 31.03.2023 को प्रकटीकरण के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
(ए)	प्रतिभूतिकरण के संबंध में निम्न मदों पर चर्चा के साथ-साथ सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकता:	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधि के संबंध में बैंक के उद्देश्य जिसमें वे गतिविधियां भी शामिल हैं जिनसे अंतर्निहित प्रतिभूत एक्सपोजर के ऋण जोखिम अंतरण बैंक से दूर अन्य संस्थाओं में जा सकते हैं।	शून्य
	प्रतिभूत आस्तियों में अंतर्निहित अन्य जोखिमों का स्वरूप (जैसे चलनिधि जोखिम)	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक की विभिन्न भूमिकाएं (उदाहरण: आरंभकर्ता, निवेशक, सेवादाता, ऋण संवर्द्धन प्रदाता, नकदी प्रदाता, स्वैप प्रदाता [@] , सुरक्षा प्रदाता [#]) और इनमें से प्रत्येक में बैंक किस हद तक भूमिका निभा रहा है। [@] हो सकता है कि किसी बैंक ने अंतर्निहित आस्तियों की ब्याज दर/मौद्रिक जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप या मुद्रा स्वैप के रूप में प्रतिभूतिकरण संरचना का समर्थन किया हो यदि विनियामक नियमों के अनुसार ऐसा करने की अनुमति हो।	लागू नहीं

	# विनियामक नियमों के अनुसार बैंक चाहे तो प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए गारंटी, ऋण डेरिवेटिव या उसी प्रकार के अन्य उत्पाद के माध्यम से ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ऋण एवं बाजार जोखिम में परिवर्तन की निगरानी के लिए बनाई गई प्रक्रिया का विवरण (जैसे एनसीएएफ पर दिनांक 01 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में यथा परिभाषित - प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर पर अंतर्निहित आस्तियों के व्यवहार का प्रभाव क्या होता है।)	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ज़रिए प्रतिधारित जोखिम को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण संबंधी बैंक की नीति का विवरण	लागू नहीं
(बी)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए जिसमें निम्न भी शामिल हैं, बैंक की लेखांकन नीति का सारांश:	
	क्या लेनदेनों को बिक्री या वित्तपोषण के रूप में माना जाता है;	लागू नहीं
	प्रतिधारित या खरीद की स्थिति के मूल्यांकन पर लागू (इनपुट सहित) पद्धति और प्रमुख अनुमान	लागू नहीं
	पद्धतियों और प्रमुख अनुमानों में पिछली अवधि से हुए परिवर्तन और उनके प्रभाव;	लागू नहीं
	तुलन-पत्र में उन देयताओं के निर्धारक की नीति जिससे प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए बैंक को वित्तीय सहायता देनी पड़ सकती है।	लागू नहीं
(सी)	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ईसीएआई के नाम और विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए प्रयुक्त प्रत्येक एजेंसी के नाम	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण: बैंकिंग बही		
(डी)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य
(ई)	एक्सपोजर के प्रकार व चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिभूतिकृत हानियों के लिए एक्सपोजर (उदाहरण : क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण आदि अंतर्निहित प्रतिभूति के विवरण सहित)	शून्य
(एफ)	एक वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकृत की जानेवाली आस्तियों की राशि	शून्य
(जी)	(एफ) में से, प्रतिभूतिकरण से पहले एक वर्ष के अंदर प्रारम्भ की गई आस्तियों की कुल राशि	लागू नहीं

(एच)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि (एक्सपोजर के स्वरूप से) और एक्सपोजर के स्वरूपवार बिक्री से हुई लाभ या हानि जिसे निर्धारित न किया गया हो।	शून्य
(आई)	समग्र राशि:	
	तुलन-पत्र के अंदर, प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर व एक्सपोजर के स्वरूपवार ब्यौरे	शून्य
	तुलन-पत्र से बाहर, प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर व एक्सपोजर का स्वरूपवार ब्यौरा	शून्य
(जे)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र राशि-प्रतिधारित या खरीदे गए तथा उससे सम्बद्ध पूंजीगत प्रभार, विभिन्न एक्सपोजर के अलग-अलग ब्यौरे और प्रत्येक नियामक पूंजी पद्धति के लिए अलग-अलग जोखिम धारिता खंड के अलग-अलग ब्यौरे	शून्य
	ऐसे एक्सपोजर जो पूर्णतया टियर 1 पूंजी से काटे गए, कुल पूंजी से काटे गए आई/ओ ऋण विस्तार और कुल पूंजी से काटे गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर वार)	शून्य
मात्रात्मक प्रकटीकरण: व्यापार बही		
(के)	बैंक द्वारा प्रतिभूत एक्सपोजर की समग्र राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर प्रतिधारित किए हैं, जिसके लिए बाजार जोखिम बना रहेगा उसके एक्सपोजर वार विवरण	शून्य
(एल)	समग्र राशि :	
	तुलन-पत्र के अंदर, प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर व एक्सपोजर का स्वरूपवार ब्यौरा	शून्य
	तुलन-पत्र से बाहर, प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर व एक्सपोजर का स्वरूपवार ब्यौरा	शून्य
(एम)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र राशि-प्रतिधारित या अलग से खरीदे गए	शून्य
	प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर-विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय की शर्तों के अधीन; तथा	शून्य
	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के लिए विभिन्न जोखिम भारित खंडों में वर्गीकृत विशिष्ट जोखिम की शर्तों के अधीन	शून्य
(एन)	समग्र राशि:	
	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के लिए पूंजीगत आवश्यकता-प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के लिए विभिन्न जोखिम भारित खंडों में वर्गीकृत विशिष्ट जोखिम की शर्त पर	शून्य
	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर जो पूरी तरह से टियर 1 पूंजी से काटे जाते हैं, कुल पूंजी में से घटाई	शून्य

	गई ऋण वृद्धि आई/ओ और कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर प्रकार द्वारा).	
--	---	--

डीएफ -7: 31.03.2023 को व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ए. बाजार जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल पोर्टफोलियो कवर .

बैंक बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है। व्यापार बही में बाजार जोखिम के तहत निम्नलिखित जोखिम का प्रबंधन किया जाता है:

- ❖ ब्याज दर जोखिम
- ❖ मुद्रा जोखिम
- ❖ मूल्य जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे सकल निपटान सीमाएं, हानि रोधक सीमाएं और मूल्य जोखिम सीमाएं. जोखिम सीमाएं, खुली बाजारगत स्थितियों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रित करती हैं। हानिरोधक सीमा, वसूलीकृत और अवसूलीकृत हानियों को ध्यान में रखती है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए एक समुचित प्रणाली यथा मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण तैयार की है। इस प्रकार आकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को बासेल-III के अन्तर्गत बैंक के सीआरएआर निर्धारण करने के लिए विचार किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बी. दिनांक 31 मार्च, 2023 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार) हेतु पूंजी आवश्यकता निम्नानुसार हैं-

(रु. करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	न्यूनतम पूंजी प्रभार
ब्याज दर जोखिम	4,200.68
विदेशी विनिमय जोखिम	128.92

इक्विटी स्थिति जोखिम	1,217.15
कुल पूंजी प्रभार	5,546.75

डीएफ- 8: परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण:

परिचालनगत जोखिम, हानि संबंधी जोखिम है जो अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों और प्रणालियों अथवा बाह्य घटनाओं के फलस्वरूप होती है। यह परिभाषा “कारण आधारित है, जो परिचालन जोखिम को इसके स्रोत के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित करती है: क) व्यक्ति ख) प्रक्रिया ग) प्रणाली तथा घ) बाह्य कारक। इसमें विधिक जोखिम शामिल हैं, परंतु नीतिपरक एवं प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं हैं। ये विधिक जोखिम, पर्यवेक्षी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप जुर्माना, दंड या दंडात्मक क्षति के साथ -साथ सिविल मुकदमे में सामान्य क्षति संबंधी विधिक लागत एवं निजी समझौते तक सीमित नहीं है।

ए. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

बैंक के आकार, स्वरूप और इसकी गतिविधियों की जटिलताओं के अनुरूप परिचालनगत जोखिम के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं को सुगम बनाने के लिए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/ बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) उपलब्ध है।

निदेशक मंडल अपनी विभिन्न समितियों अर्थात् निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी), इंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमएस), उत्पाद एवं प्रक्रिया अनुमोदन समिति (पीपीएसी) के माध्यम से ओआरएमएफ के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन एवं निर्देश देता है और परिचालनगत जोखिम का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

- आरएमसीबी एक बोर्ड स्तरीय समिति है जो समग्र परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल, ओआरएमएफ एवं इसके उपयुक्तता के लिए उत्तरदायी है।
- ईआरएमसी वरिष्ठ प्रबंधन स्तर की समिति है जो इंटरप्राइज वाइड रिस्क के प्रबंधन एवं आकलन के लिए उत्तरदायी है। यह समिति ओआरएम फ्रेमवर्क सहित ईआरएम फ्रेमवर्क के डिजाइन एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
- पीपीएसी वरिष्ठ स्तर की समिति है जो नए उत्पादों/ प्रक्रियाओं/ सिस्टम के अनुमोदन तथा मौजूदा उत्पाद/ प्रक्रिया/ सिस्टम में संशोधन के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है।
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) सेल, जोखिम प्रबंधन विभाग का एक भाग है जिसके प्रमुख, मुख्य जोखिम अधिकारी होते हैं। ओआरएम सेल स्वतंत्र क्रियाकलाप है जो ओआरएमएफ के कार्यान्वयन, बैंक की नीतियों, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन एवं आकलन संबंधी नियमावलियों एवं प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने के लिए व्यावसायिक इकाइयों, कॉर्पोरेट प्रबंधन एवं बैंक के सभी अन्य प्रभागों एवं विभागों से विचार-विमर्श करती है, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन संस्कृति विकसित करती है एवं उसका संरक्षण करती है, ओआरएम जोखिम वहन क्षमता एवं कार्यनीति विकसित करती है तथा आंतरिक नीतियों एवं विनियामक दिशानिर्देशों के

अनुसार हानि संबंधी डेटा, जोखिम नियंत्रण एवं स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) एवं प्रमुख जोखिम सांकेतिक (केआरआई) आवश्यकताओं को क्रियान्वित करती है।

बी. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य:

बैंक के परिचालनगत जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रभावी तरीके से परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन एवं नियंत्रण करना है तथा बैंक में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए सुस्पष्ट एवं सुदृढ़ मानक तैयार करना है। ओआरएम का लक्ष्य निम्नानुसार है:

- बैंक स्तर पर परिचालन जोखिम प्रबंधन की संस्कृति विकसित करना।
- बैंक के लिए जोखिम वहन क्षमता विकसित करना।
- बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्यनीति स्थापित करना और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर दिशानिर्देश जारी करना।
- परिचालन जोखिम के प्रभावी तरीके से प्रबंधन हेतु अपेक्षित स्तर की योग्यता, अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त पर्याप्त लोगों के साथ स्टाफ सदस्यों के सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- बैंक में प्रभावी एवं मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करना।
- ओआरएमएस की निरंतर उपयुक्तता के संबंध में नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता का प्रबंध करना।
- व्यवसाय, परिचालन एवं सपोर्ट ग्रुप के परिचालन जोखिम का मूल्यांकन एवं उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु बैंक में परिचालनगत जोखिम हेतु सामान्य समझ विकसित करना।
- पूरे बैंक के आंतरिक नियंत्रणों में सुधार करने हेतु व्यवसाय एवं परिचालनों में सहायता करना और इसके द्वारा परिचालनगत जोखिम से हानियों का संभावित प्रभाव कम करना।
- महत्वपूर्ण जोखिमों और उनके नीतिपरक पहलुओं तथा बैंक पर इसके प्रभाव को समझना।
- बैंक के समग्र जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करना जिसमें प्रमुख मुद्दों, जोखिम प्रसंगों, सीमाओं का उल्लंघन, बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर वस्तुगत प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य बदलाव, नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन न करना एवं लंबित सुधारात्मक कार्रवाई योजना शामिल हैं।

सी. जोखिम निर्धारण, आकलन एवं निगरानी

मजबूत परिचालनगत जोखिम गवर्नेंस संरचना एवं परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने तीन स्तरीय सुरक्षा तंत्र अपनाया है। दैनिक परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (व्यवसाय कार्य, परिचालन एवं सपोर्ट फंक्शन) सुरक्षा तंत्र का पहला स्तर पर है, बैंक की ओआरएम सेल सुरक्षा के दूसरे स्तर पर है जो बैंक स्तर पर परिचालन जोखिम का निर्धारण, आकलन एवं निगरानी हेतु पद्धतियों को डिजाइन करने के लिए उत्तरदायी है। तीसरी, आंतरिक लेखापरीक्षा, उन नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है जो उपयुक्त हैं और प्रभावी रूप से लागू की जाती हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र कार्यप्रणाली के रूप में कार्य करती है और जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर निदेशक मंडल/ निदेशक मंडल समिति को आश्वासन प्रदान करती है।

ओआरएम सेल बैंक की विभिन्न व्यवसायिक एवं प्रशासनिक इकाइयों की प्रक्रियाओं, उत्पादों, सिस्टम एवं बाहरी परिवेश में अंतर्निहित परिचालनगत जोखिम का निर्धारण करती है और निर्देशों के लिए ईआरएमसी, जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक आधार पर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ओआरएमसी द्वारा परिचालनगत जोखिम एक्सपोजर (जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन परिणाम, परिचालन जोखिम प्रसंगों का मूल्यांकन, मुख्य जोखिम सूचक एवं मुक्त जोखिम) की निरंतर आधार पर निगरानी की जाती है तथा व्यवसाय प्रमुखों को डैशबोर्ड के रूप में आवधिक आधार पर रिपोर्ट की जाती है।

डी. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यनीति निम्नानुसार है:

- आंतरिक परिचालनगत जोखिम हानि डेटा का संग्रहण, मूल्यांकन एवं निगरानी व्यवस्थित तरीके से किया जाता है तथा ईआरएमसी एवं आरएमसीबी को आवधिक आधार पर इसकी रिपोर्ट की जाती है। हानि संबंधी डेटा का संग्रहण वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से उन संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जहां वह घटना घटित हुई थी। ऐसी घटनाएं जो होते-होते रह गई हैं उन्हें भी नियंत्रण खामियों का पता लगाने और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए कैप्चर किया जाता है।
- बैंक, उद्योग के अनुभवों को समझने एवं अपने आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी परिचालन जोखिम हानि संबंधी डेटा संग्रहित करता है। बाहरी हानि डेटाबेस का एक्सेस प्राप्त करने के लिए बैंक ने CORDEX की सदस्यता ग्रहण की है जो भारतीय बैंकों की एक सहायता संघ है जिसकी स्थापना उद्योग स्तर के परिचालनगत जोखिम हानियों का संग्रहण करने के लिए की गई है।
- बैंक के पास आंतरिक एवं बाह्य हानियों का व्यापक डेटाबेस मौजूद है जिन्हें बासेल द्वारा परिभाषित 8 बिजनेस लाइन एवं हानि संबंधी 7 प्रकार की घटनाओं के अनुसार संग्रहित किया जाता है और निगरानी की जाती है।
- बैंक ने उत्पादों/ प्रक्रियाओं/ प्रणालियों में शामिल जोखिमों के निर्धारण एवं मूल्यांकन हेतु तथा नियंत्रण संबंधी खामियों का पता लगाने के लिए आरसीएसए प्रक्रिया क्रियान्वित की है। नए उत्पाद/ प्रक्रिया/ प्रणाली के लिए मूल विभाग अंतर्निहित जोखिम का मूल्यांकन करता है और जोखिम को स्वीकार्य वहन क्षमता के अंतर्गत रखने के लिए जोखिम संकट को कम या न्यूनतम करने हेतु नियंत्रण उपायों को लागू करता है। मौजूदा उत्पादों के लिए, अंतिम प्रयोक्ता अर्थात् सुरक्षा के प्रथम स्तर के प्रयोक्ता द्वारा आरसीएसए मूल्यांकन किया जाता है।
- बैंक में विभिन्न कार्यशालाओं विशेषकर आरसीएसए कार्यशालाओं एवं अन्य बैठकों के माध्यम से संस्थान में जोखिम संस्कृति के बारे में जानकारी दी जा रही है। सभी नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों को आरसीएसए प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त जांच करने के बाद लागू किया जाता है जिसमें अंतर्निहित जोखिम का निर्धारण और मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें आरंभ करने से पहले उचित नियंत्रणों का समावेश किया जाता है।
- बैंक ने संभावित जोखिम को सक्रियता से पहचानने के लिए मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। इन मुख्य जोखिम संकेतकों की निगरानी निर्धारित समयांतराल में एवं निर्धारित प्रारंभिक स्तरों पर की जाती है। प्रारंभिक सीमा का उल्लंघन करने वाले सभी केआरआई के लिए केआरआई ऑनर फंक्शन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

बैंक ने परिचालन जोखिम के सुव्यवस्थित, समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन के लिए वेब आधारित परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली में इंसिडेंट मैनेजमेंट (आईएमएम), रिस्क एंड कंट्रोल सेल्फ-असेसमेंट (आरसीएसए), की-रिस्क इंडिकेटर (केआरआई) तथा इश्यू एवं एक्शन प्लान (आई एवं ए) शामिल हैं।

ई. विदेशी शाखाओं एवं बैंकिंग अनुबंधियों में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन:

बैंक की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति बैंक की विदेशी शाखाओं/ टेरिटरी सहित सभी शाखाओं/ कार्यालयों/ कॉर्पोरेट कार्यालय तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधियों पर उनके व्यवसाय प्रोफाइल, स्वरूप, आकार एवं परिचालन की जटिलता के आधार पर लागू है। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधियों एवं विदेशी शाखाओं/ टेरिटरी द्वारा ग्रुप लेवल परिचालनगत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क अपनाना होम-होस्ट आवश्यकता के अनुपालन के अधीन है।

एफ. परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपनाया है। मूल सूचक दृष्टिकोण के अंतर्गत विगत 3 वर्षों की औसत आय को जोखिम भारित आस्ति की संगणना हेतु शामिल किया गया है। तदनुसार, परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता ₹8,367.21 करोड़ है।

डीएफ 9. दिनांक 31.03.2023 को बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का आकलन एवं निगरानी बैंक की समूह आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के “बैंक की समूह आस्ति देयता प्रबंधन फ्रेमवर्क - ब्याज दर जोखिम” दिनांक 4 नवम्बर, 2010 पर आधारित है। ब्याज दर जोखिम का आकलन, बैंक की ब्याज दर जोखिम की संवेदनशील स्थिति की वैल्यू में परिवर्तन के अनुसार किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की गणना व निगरानी निम्नलिखित दृष्टिकोण के माध्यम से की जाती है:

(ए) जोखिम पर आय (पारंपरिक अंतर विश्लेषण) (अल्पावधि):

इस दृष्टिकोण के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक की निवल ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण होने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

जोखिम पर आय को विभिन्न परिदृश्यों में निम्नानुसार विश्लेषित किया जाता है:

1. आय वक्र जोखिम: आस्तियों और देयताओं दोनों संवेदनशील दरों के लिए ब्याज दर में 200 बीपीएस के समानांतर परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है।

2. आस्तियों और देयताओं दोनों संवेदनशील दरों के लिए आय वक्र में श्रेणी-वार परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है।
3. आधार जोखिम एवं समाहित विकल्प जोखिम का अनुमान ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर लगाया गया है।

(बी) इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अंतर विश्लेषण) (दीर्घावधि)

संवेदनशील आस्तियों एवं देयताओं दर की संशोधित अवधि की गणना की जाती है तथा बैंक की निवल मालियत पर ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव का पता लगाने के लिए संशोधित अवधि अंतराल का निर्धारण किया जाता है।

- इस दृष्टिकोण को दर में दिये परिवर्तन हेतु आय वक्र में समानांतर शिफ्ट माना जाता है।
- इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अपेक्षित 200 बीपीएस दर के लिए भी विश्लेषित किया जाता है।

बैंक की बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) का विश्लेषण घरेलू तथा विदेशी, दोनों परिचालनों के लिए किया जाता है। घरेलू परिचालनों के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य का आकलन तथा निगरानी तिमाही आधार पर किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ब्याज दर शॉक में परिवर्तन हेतु अर्जन और आर्थिक मूल्य में वृद्धि (कमी) निम्नानुसार हैं:

ए. जोखिम पर अर्जन: ब्याज दर में 200 बीपीएस की वृद्धि के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए निवल ब्याज आय पर पड़ने वाले प्रभाव 31 मार्च 2023 की स्थिति को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

मुद्रा	ब्याज दरों में 200 बेसिस पॉइंट्स वृद्धि
आईएनआर	4,387.37
यूएसडी	798.72
अवशिष्ट मुद्रा	272.75

बी. आर्थिक मूल्य: ब्याज दर में 200 बीपीएस के परिवर्तन के कारण इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव की 31 मार्च 2023 को स्थिति को निम्नलिखित टेबल में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

मुद्रा	ब्याज दरों में 200 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि के कारण इक्विटी के बाजार में मूल्य में परिवर्तन
आईएनआर	(10,446.94)
यूएसडी	(197.50)

तालिका डीएफ 10: दिनांक 31.03.2023 को प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है और यह डेरिवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक के एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें केवल उधार देने वाला बैंक हानि जोखिम का सामना करता है, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय प्रकृति का है अर्थात् संव्यवहार का बाजार मूल्य किसी भी प्रतिपक्षी संव्यवहार के लिए सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है और अंतर्निहित बाजार घटकों के संचालन के साथ समय-समय पर भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है।

बैंक अपने ग्राहकों को डेरिवेटिव उत्पादों के समान ही बहुत से उत्पाद ऑफर करता है ताकि वे ब्याज दर तथा मुद्रा संबंधी अपनी एक्सपोजर के साथ लेन-देन कर सकें और डेरिवेटिव के लिए प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक मार्जिन अर्जित कर सकें। सभी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव प्रतिपक्षी ऋण जोखिम की ओर ले जाते हैं, जिसकी नियमित अंतराल पर बैंक द्वारा निगरानी की जाती है। इन संव्यवहारों के लिए मार्जिन ऋण जोखिम की गुणवत्ता और मात्रा साथ ही इक्विटी पर वांछित प्रति लाभ को हिसाब में लिया जाता है।

बैंक का प्रतिपक्षी ऋण जोखिम, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है। बैंक किसी पार्टी को डेरिवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित यह करता है कि सभी समुचित सावधानी - अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण संव्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए और फिर तदुसार संव्यवहार में अपेक्षित ऋण जोखिम कमी का निर्णय करता है।

प्रतिपक्षी ऋण एक्सपोजर को कम करने तथा उसकी निगरानी करने के लिए कॉर्पोरेट को दिए गए शेष डेरिवेटिव संव्यवहारों की मासिक आधार पर और बैंक की तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण: डेरिवेटिव एक्सपोजर की गणना वर्तमान एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) के आधार पर की गई है तथा दिनांक 31 मार्च, 2023 को बकाया निम्नानुसार है:-

(₹करोड़ में)

विवरण	कल्पित राशि	वर्तमान एक्सपोजर	मौजूदा एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) के तहत एक्सपोजर
वायदा फॉरेक्स संविदाएं (14 दिन या उससे कम)	39,742.14	76.65	819.00

विवरण	कल्पित राशि	वर्तमान एक्सपोजर	मौजूदा एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) के तहत एक्सपोजर
वायदा फॉरेक्स संविदाएं (14 दिन से अधिक)	3,18,917.75	3,206.70	8,425.56
मुद्रा फ्यूचर	469.99	1.26	10.66
मुद्रा विकल्प	10,079.42	137.81	101.36
ब्याज दर फ्यूचर	0.00	0.00	0.00
पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	10,839.11	146.86	948.02
एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	96,155.16	1,201.87	1,980.46

डीएफ- 11- दिनांक 31.03.2023 को पूंजी संयोजन

दिनांक 31 मार्च 2017 से उपयोग में लाए जाने वाले बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

(₹ मिलियन में)

क्र.सं.	मद	पात्र राशि	संदर्भ सं.
1	प्रत्यक्ष रूप से: जारी की गई पात्र सामान्य शेयर पूंजी तथा सम्बद्ध स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	3,23,476.86	ए+डी
2	प्रतिधारित अर्जन	5,71,229.09	बी+ई+एफ+आई+सी (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि की कटौती के बाद) + पूंजीगत हेज रिजर्व
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य प्रारक्षित निधि)	59,630.20	75% एफसीटीआर (एच) + पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि का 45% (पूंजीगत प्रारक्षित निधि का भाग)
4	प्रत्यक्ष रूप से: जारी की गई पूंजी जो चरणबद्ध रूप से सीईटी 1 के अधीन है, (केवल गैर-सहयोगी स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	---	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी की गई तथा तृतीय पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी. (समूह सीईटी 1 में अनुमत प्राप्त	1,732.11	जे का भाग (माइनॉरिटी ब्याज)

क्र.सं.	मद	पात्र राशि	संदर्भ सं.
	राशि)		
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	9,56,068.27	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबद्ध कर देयता का निवल)	81.38	एल का भाग
9	बंधक के अलावा अमूर्त-सेवा अधिकार (कर देयता का निवल)	2,160.42	
10	आस्थगित कर आस्तियां	0.23	एम का भाग
11	नकदी प्रवाह हेज रक्षित निधि		
12	अनुमानित हानि हेतु कमी के लिए प्रावधान		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि		
15	परिभाषित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां		
16	निजी शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में चुकता पूंजी का समायोजन पहले से न किया हो.)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस धारिता	4,315.99	पी एवं एस का भाग
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन क्षेत्र, पात्र अधिक बिक्रय की स्थिति से बाहर हैं जहां जारी की गई	13,977.31	आर एवं एस का भाग

क्र.सं.	मद	पात्र राशि	संदर्भ सं.
	शेयर पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी 10% से अधिक नहीं है. (प्रारम्भ में 10% से अधिक राशि)		
19	बैंकिंग, वित्तीय बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो विनियामक समेकन क्षेत्र, पात्र अधिक बिक्रय की स्थिति के निवल से बाहर है. (प्रारम्भ में 10% से अधिक की राशि)		
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (प्रारम्भ में 10% से अधिक की राशि)		
21	अस्थाई अंतरों से होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (प्रारम्भ में 10% से अधिक की राशि संबंधित कर देयता का निवल)		
22	प्रारम्भिक 15% से अधिक राशि		
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश.		
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार,		
25	जिसमें से: अस्थाई अंतरों से होने वाली आस्थगित कर देयता		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए + 26बी + 26 सी + 26 डी)	8,726.46	
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश		
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश		

क्र.सं.	मद	पात्र राशि	संदर्भ सं.
26सी	जिसमें से: बहुत सी निजी वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं हुई है.		
26डी	जिसमें से: अशोधित पेंशन निधि व्यय	8,726.46	एल का भाग
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 के संबंध में विनियामक समायोजन किया गया		
28	सामान्य इक्विटी- 1 टियर-1 के लिए कुल विनियामक समायोजन	29,261.79	
29	सामान्य इक्विटी-टियर 1 पूंजी (सीईटी-1)	9,26,806.48	
	अतिरिक्त टियर-1 पूंजी: लिखत		
30	प्रत्यक्षतः जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर-1 लिखत तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष (31+32)	1,23,550.00	
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं. (पीएनसीपीएस)		
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं. (शाश्वत ऋण लिखत)	1,23,550.00	यू
33	अतिरिक्त टियर-1 से फेज आउट अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पूंजीगत लिखत	0.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (राशि की अनुमति समूह एटी-1 में दी गई है)		

क्र.सं.	मद	पात्र राशि	संदर्भ सं.
	अतिरिक्त टियर-1 लिखत (तथा सीईटी-1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं).		
35	जिसमें से: फेज आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी किया गया लिखत		
36	विनियामक समायोजन के पहले अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1,23,550.00	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर-1 लिखतों में निवेश		
38	अतिरिक्त तैयार 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	1,338.96	{क्यू एवं एस का भाग}
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं जो विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर हैं तथा जहां बैंक की हिस्सेदारी जारी की गई संस्था की सामान्य शेयर पूंजी में 10% से अधिक नहीं है, का पूंजी में निवेश (प्रारम्भ में 10% से अधिक राशि)		
40	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, में महत्वपूर्ण निवेश. (पात्र शॉर्ट पोजीशन का निवल)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए +41बी)		
41ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 की पूंजी में निवेश		

क्र.सं.	मद	पात्र राशि	संदर्भ सं.
41बी	जिसमें से: अधिकतर निजी वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 की पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है.		
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए कूल विनियामक समायोजन	1,338.96	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1) पूंजी	1,22,211.04	
44ए	पूंजी पर्याप्तता हेतु अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1) की गणना	1,22,211.04	
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी 1 + स्वीकार्य एटी1)	10,49,017.52	
46	प्रत्यक्षतः जारी किए पात्र टियर 2 लिखत तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष	59,965.00	टी का भाग (ग्रेडफादरिंग के बाद) + V
47	प्रत्यक्षतः जारी किए गए पूंजीगत लिखत जो टियर 2 से फेज आउट के अधीन है		
48	अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए तथा तृतीय पक्ष द्वारा धारित टियर 2 लिखत (तथा सीईटी1 व एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि की अनुमति ग्रुप टियर 2 में दी गई है).		
49	जिसमें से: फेज आउट के अधीन		

क्र.सं.	मद	पात्र राशि	संदर्भ सं.
	अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत		
50	प्रावधान	99,611.34	जी और एक्स एवं डब्ल्यू का भाग (पात्र प्रावधान)
51	विनियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूंजी	1,59,576.34	
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश		
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.06	{क्यू एवं एस का भाग}
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं जो विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर हैं तथा जहां बैंक की हिस्सेदारी जारी की गई संस्था की सामान्य शेयर पूंजी में 10% से अधिक नहीं है, का पूंजी में निवेश (प्रारम्भ में 10% से अधिक राशि)		
55	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, में महत्वपूर्ण निवेश. (पात्र शॉर्ट पोजीशन का निवल)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56ए	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश		
56बी	जिसमें से: अधिकतर निजी वित्तीय संस्थाओं की टियर 2 की पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है.		

क्र.सं.	मद	पात्र राशि	संदर्भ सं.
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	0.06	
58	टियर 2 पूंजी	1,59,576.28	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45+58)	12,08,593.80	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	72,26,060.84	
60ए	जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	60,16,151.85	
60बी	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	4,82,325.89	
60सी	जिसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	7,27,583.10	
पूंजी अनुपात एवं बफर			
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.83%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.52%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	16.73%	
64	संस्था विशेष की बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रकटित न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता)	8.00%	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर	2.50%	

क्र.सं.	मद	पात्र राशि	संदर्भ सं.
	आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
66	जिसमें से: बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	0.00	
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00	
68	बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.50%	
राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर (यदि बासेल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	8.00%	आईएनसी सीसीबी
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	9.50%	आईएनसी सीसीबी
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	11.50%	आईएनसी सीसीबी
कटौती के लिए आरंभिक सीमा से कम की राशि (जोखिम भारित करने से पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
74	बंधक सेवा अधिकार (संबन्धित कर देयताओं का निवल)	0.00	
75	अस्थायी अंतरों से निकाली आस्थगित कर आस्तियां (संबन्धित	66,719.13	

क्र.सं.	मद	पात्र राशि	संदर्भ सं.
	कर देयताओं का निवल)		
टिअर 2 में प्रावधानों के समावेश पर लागू उच्चतम सीमाएं			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेश के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के लागू होने से पूर्व)	78,848.69	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों से समावेश की उच्चतम सीमा (सीआरडबल्यूए का 1.25%)	75,201.90	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेश के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के लागू होने से पूर्व)	0.00	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के समावेश के लिए उच्चतम सीमा	0.00	
फेज-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च 2017 एवं 31 मार्च 2023 के बीच लागू)			
80	फेज-आउट व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	0.00	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से उपर अतिरिक्त)	0.00	
82	फेज-आउट व्यवस्था के अधीन एटी 1 लिखतों में वर्तमान उच्चतम सीमा	1,23,550.0	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा	0.00	

क्र.सं.	मद	पात्र राशि	संदर्भ सं.
	से उपर अतिरिक्त)		
84	फेज-आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	59,965.00	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से ऊपर अतिरिक्त)	1,000.00	

<u>टेम्पलेट के लिए नोट</u>		
पंक्ति	विवरण	₹ मिलियन में)
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	0.23
	आस्थगित कर देयता का निवल आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानि से जुड़े लोगों को छोड़कर)	0.00
	पंक्ति 10 में दर्शाए गए अनुसार योग	0.23
19	यदि बीमा अनुबंधियों में निवेश पूंजी से पूर्णतः घटाया नहीं गया है तथा इसकी जगह न्यूनतम 10 % कम करने के लिए इसे शामिल किया गया है, फलस्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से – सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से – अतिरिक्त टियर -1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से – टियर -2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26बी	यदि गैर-समेकित गैर वित्तीय अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी में निवेश में कटौती नहीं की जाती है और इसलिए जोखिम भारित है.	
	(i) सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित संपत्ति में वृद्धि	0.00
50	पात्र प्रावधान टियर-2 पूंजी में शामिल हैं	99,611.34

पात्र पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व टियर -2 पूंजी में शामिल है	0
कुल पंक्ति 50	99,611.34

डीएफ -12: दिनांक 31.03.2023 को पूंजी संरचना- रिक्सिलेशन आवश्यकताएं

चरण 1:

(₹ मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र
		31.03.2023	31.03.2023
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	10,355.34	10,355.34
	आरक्षित एवं अधिशेष	10,40,191.83	10,14,621.52
	माइनॉरिटी ब्याज	9,945.90	6,193.22
	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	0.00	0.00
	कुल पूंजी	10,60,493.07	10,31,170.08
ii	जमाराशियां	1,23,46,820.01	1,23,47,815.90
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	6,26,148.48	6,26,021.29
	जिसमें से : ग्राहक जमाराशियां	1,17,20,671.53	1,17,21,794.61
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	0.00	0.00
	जिसमें से : भारत में स्थित शाखाओं से जमाराशियां	1,05,47,104.75	1,05,49,107.68
	जिसमें से : भारत से बाहर स्थित शाखाओं से जमाराशियां	17,99,715.26	17,98,708.22
iii	उधार	10,79,101.55	10,19,755.46
	जिसमें से : भारतीय रिज़र्व बैंक से	24,290.00	24,290.00
	जिसमें से : बैंकों से	1,15,918.95	1,17,068.95

(₹ मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र
		31.03.2023	31.03.2023
	जिसमें से: अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	6,01,793.02	5,43,203.80
	जिसमें से: भारत से बाहर उधार	92,380.19	92,827.72
	जिसमें से: पूंजीगत लिखत	2,34,719.40	2,32,365.00
	जिसमें से: दीर्घावधि इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	10,000.00	10,000.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	7,72,375.10	5,56,835.13
	कुल	1,52,58,789.73	1,49,55,576.57
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	5,66,962.11	5,66,929.74
	बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	4,56,771.77	4,49,419.31
ii	निवेश:	39,74,872.34	37,44,628.34
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभितियां	33,98,193.78	33,43,404.06
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,02,513.05	14.14
	जिसमें से: शेयर	63,002.05	22,325.75
	जिसमें से: डिबेंचर एवं बॉन्ड	3,01,740.46	2,72,762.84
	जिसमें से: अनुषंगिया/ संयुक्त उद्यम/ सहायक इकाइयां	18,829.07	4,864.57
	जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पेपर, म्युचुअल फंड इत्यादि)	90,593.93	1,01,256.98
iii	ऋण एवं अग्रिम	96,36,518.34	95,89,067.24
	जिसमें से: बैंक को ऋण एवं अग्रिम	5,42,775.46	5,42,775.46
	जिसमें से : ग्राहक को ऋण एवं अग्रिम	90,93,742.88	90,46,291.78
iv	अचल आस्तियां	89,567.95	89,313.61
v	अन्य आस्तियां	5,24,989.43	5,16,218.19

(₹ मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र
		31.03.2023	31.03.2023
	जिसमें से: साख एवं अमूर्त आस्तियां	4,58,261.73	4,49,499.06
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियां	66,727.70	66,719.13
vi	समेकन संबंधी साख	9,107.79	0.14
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
	कुल आस्तियां	1,52,58,789.73	1,49,55,576.57

चरण 2

(₹ मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र	संदर्भ सं
		31.03.2023	31.03.2023	
ए	पूंजी एवं देयताएं			
i	प्रदत्त पूंजी	10,355.34	10,355.34	
	जिसमें से: सीईटी1 के लिए पात्र राशि	10,355.34	10,355.34	A
	जिसमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि			
	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	0.00	0.00	
ii	आरक्षित एवं अधिशेष	10,40,191.83	10,14,621.52	
	सांविधिक आरक्षित निधि	1,90,631.01	1,89,244.60	B
	पूंजी आरक्षित निधि	1,40,640.62	1,40,640.62	C
	शेयर प्रीमियम	3,14,309.52	3,13,121.52	D

(₹ मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र	संदर्भ सं
		31.03.2023	31.03.2023	
	सामान्य आरक्षित निधि	0.00	0.00	
	आई.टी. अधिनियम, 1961 की धारा 36 (I) (VIII) (ए) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित	0.00	0.00	
	आई.टी. अधिनियम की धारा 36 (I) (VIII) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित	69,691.88	69,691.89	E
	राजस्व तथा अन्य प्रारक्षित	2,30,878.17	2,12,315.92	F
	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	24,409.44	24,409.44	G
	विदेशी मुद्रा परिवर्तन प्रारक्षित निधि	47,115.85	46,933.63	H
	पूंजीगत हेज प्रारक्षित निधि	1,608.93	1,608.93	
	निवेश प्रारक्षित खाता	43.65	43.65	
	अनाबंटित लाभ	20,862.77	16,611.34	I
	माइनॉरिटी शेयर	9,945.90	6,193.22	J
i+ii	कुल पूंजी	10,60,493.07	10,31,170.08	
iii	जमाराशियां	1,23,46,820.01	1,23,47,815.90	
	बैंक से मांग जमा	39,901.77	39,774.58	
	अन्य से मांग जमा	10,24,098.58	10,25,851.26	
	बचत बैंक जमा	37,80,789.04	37,80,786.12	
	बैंकों से मीयादी जमा	5,86,246.71	5,86,246.71	
	अन्य से मीयादी जमा	69,15,783.91	6,91,5157.23	
	भारत में स्थित शाखाओं से जमा	1,05,47,104.75	1,05,49,107.68	
	भारत से बाहर स्थित शाखाओं से जमा	1,7,99,715.26	17,98,708.22	

(₹ मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र	संदर्भ सं
		31.03.2023	31.03.2023	
iv	उधारियां	10,79,101.55	10,19,755.46	
	भा.रि.बैं. (भा.रि.बैं. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत)	24,290.00	24,290.00	
	बैंकों से	1,15,918.95	1,17,068.95	
	अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	6,01,793.02	5,43,203.80	
	नियत ऋण लिखत (पीडीआई)	1,23,550.00	1,23,550.00	U
	बॉन्ड के रूप में जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	0.00	0.00	V
	गौण बॉन्ड	1,11,169.40	1,08,815.00	T
	लॉन्ग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	10,000.00	10,000.00	
	भारत के बाहर उधार	92,380.19	92,827.72	
v	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	7,72,375.10	5,56,835.13	
	जिसमें से: देय बिल	41,090.58	41,090.58	
	जिसमें से: अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	24,280.97	24,280.97	
	जिसमें से: आस्थगित कर देयता	81.34	81.26	
	जिसमें से: उपचित ब्याज	56,718.45	54,340.30	
	जिसमें से: मानक अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान	77,437.20	77,246.84	X
	जिसमें से: अन्य (प्रावधान सहित)	5,72,766.56	3,59,795.16	W
	कुल	1,52,58,789.73	1,49,55,576.57	
बी	आस्तियां			
i	उपलब्ध नकदी	10,23,733.89	10,16,349.04	

(₹ मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र	संदर्भ सं
		31.03.2023	31.03.2023	
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	5,66,962.11	5,66,929.74	
	बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	4,56,771.77	4,49,419.31	
ii	निवेश	39,74,872.34	37,44,628.34	
	सरकारी प्रतिभूतियां	33,98,193.78	33,43,404.06	N
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	102,513.05	14.14	O
	शेयर	63,002.05	22,325.75	P
	डिबेंचर एवं बॉन्ड	3,01,740.46	2,72,762.84	Q
	अनुषंगिकता और/ अथवा संयुक्त उद्यम भारत एवं विदेश में	18,829.07	4,864.57	R
	अन्य निवेश	90,593.93	1,01,256.98	S
iii	ऋण एवं अग्रिम	96,36,518.34	95,89,067.24	
	बढ़ाकृत एवं खरीदे गये बिल	3,37,285.27	3,37,250.57	
	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	32,78,053.50	32,77,978.83	
	मीयादी ऋण	60,21,179.57	59,73,837.84	
iv	अचल आस्तियां	89,567.95	89,313.61	
v	अन्य आस्तियां	5,24,989.43	5,16,218.19	L
	जिसमें से: साख एवं अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	
	जिसमें से: साख	0.00	0.00	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर)	4,58,261.73	4,49,499.06	
	आस्थिगत कर आस्तियां	66,727.70	66,719.13	M

(₹ मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र	संदर्भ सं
		31.03.2023	31.03.2023	
vi	समेकन संबंधी साख	9,107.79	0.14	
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्तियां	1,52,58,789.73	1,49,55,576.57	

चरण 3

(₹ मिलियन में)

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1): लिखत एवं प्रारक्षित निधियां		
क्र.सं.	विवरण	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई नियामक पूंजी का घटक
1	सीधे जारी किए गए पात्र सामान्य शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी सहित संबंधित शेयर अधिशेष	3,23,476.86
2	प्रतिधारित उपार्जन	5,71,229.09
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य प्रारक्षित)	59,630.20
4	सीईटी 1 से हटाए जाने के अधीन सीधे जारी की गई पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि)	1,732.11
6	नियामक समायोजनों से पहले सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी	9,56,068.27
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00

डीएफ- 13: दिनांक 31.03.2023 को विनियामक पूंजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताएं:

ऋण पूंजी लिखतों संबंधी प्रकटीकरण तथा ऋण पूंजी लिखतों के नियम एवं शर्तों को अलग से प्रकट किया गया है। प्रकटीकरण को एक्सेस करने के लिए यहां क्लिक करें।

डीएफ -14: दिनांक 31.03.2023 को विनियामक पूंजीगत लिखतों के सभी नियम एवं शर्तें:

पूंजीगत लिखतों का विवरण अलग से दर्शाया गया है। पूंजीगत लिखतों के नियम एवं शर्तों को देखने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

क्र. सं.	लिखतें
1	<u>बासेल III अतिरिक्त टियर I एसआर -X</u>
2	<u>बासेल III अतिरिक्त टियर I एसआर -XI</u>
3	<u>बासेल III अतिरिक्त टियर I एसआर -XII</u>
4	<u>बासेल III अतिरिक्त टियर I एसआर -XIII</u>
5	<u>बासेल III अतिरिक्त टियर I एसआर - XIV</u>
6	<u>बासेल III अतिरिक्त टियर I एसआर - XV</u>
7	<u>बासेल III अतिरिक्त टियर I एसआर - XVI</u>
8	<u>बासेल III अतिरिक्त टियर I एसआर - XVII</u>
9	<u>बासेल III अतिरिक्त टियर I एसआर - XVIII</u>
10	<u>बासेल III अतिरिक्त टियर I एसआर - XIX</u>
11	<u>बॉन्ड सीरीज -XXII</u>
12	<u>बॉन्ड सीरीज -XIX</u>
13	<u>बॉन्ड सीरीज -XVIII</u>
14	<u>बॉन्ड सीरीज -XX</u>
15	<u>बॉन्ड सीरीज -XXI</u>
16	<u>बॉन्ड सीरीज -XII - (अपर)</u>
17	<u>बॉन्ड सीरीज -XVI</u>
18	<u>बॉन्ड सीरीज -XVII</u>
19	<u>बॉन्ड सीरीज -XXIII</u>
20	<u>बॉन्ड सीरीज -XXIV</u>
21	<u>बासेल III - सीरीज -XIII (लोअर) (पूर्ववर्ती देना)</u>
22	<u>बासेल III - सीरीज -XIV (लोअर) (पूर्ववर्ती देना)</u>
23	<u>बासेल III - सीरीज -VIII (पूर्ववर्ती विजया)</u>
24	<u>बासेल III - सीरीज - IX (पूर्ववर्ती विजया)</u>
25	<u>बासेल III - सीरीज - X (पूर्ववर्ती विजया)</u>
26	<u>बासेल III - सीरीज - XI (पूर्ववर्ती विजया)</u>

डीएफ -15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं

लागू नहीं, क्योंकि यह प्रकटीकरण भारत में परिचालन कर रहे निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंकों के लिए लागू है।

डीएफ -16: दिनांक 31.03.2023 को इक्विटी: बैंकिंग बही स्थिति का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

पब्लिक एवं प्राइवेट इक्विटी प्रतिभूतियों में बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रुप सीधे निवेश करता है; साथ ही कर्ज प्रतिभूति एवं ऋणों, पब्लिक एवं प्राइवेट इक्विटी प्रतिभूतियां तथा रियल इस्टेट एंटीटी में निवेश करता है। इन निवेशों का स्वरूप सामान्यतः दीर्घकालिक होता है और मुख्य रूप से पूंजी मूल्यवृद्धि उद्देश्यों के लिए धारित किया जाता है, अतः ये बैंकिंग बही इक्विटी निवेशों के रूप में नियामक पूंजी उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण जिसमें शामिल हैं: विदेशी एवं भारतीय अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सभी इक्विटी एचटीएम निवेश। ये नीतिपरक प्रकृति के हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

परिपक्वता पर धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिन्हित करना आवश्यक नहीं है और उसे अधिग्रहण की लागत पर माना जाएगा जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक न हो, इस मामले में प्रीमियम परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित होना चाहिए। चूंकि बैंक लगातार भारत औसत लागत (डबल्यूएसी) की लेखांकन पद्धति को अपना रहा है अतः शिफ्टिंग और प्रीमियम परिशोधन की गणना के उद्देश्य से भी भारत औसत लागत (डबल्यूएसी) अधिग्रहण की लागत होगी।

बैंक अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यम में किए गए निवेशों के मूल्य में, अस्थायी के अलावा किसी भी हास को मानता है, जो परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत शामिल हों और उनका प्रावधान किया गया हो। ऐसे हास को प्रत्येक निवेश के लिए एकल रूप में निर्धारित किया जाए और इसके लिए प्रावधान किया जाए।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	राशि
1	निवेश	5,780.06
1.1	तुलन-पत्र के अनुसार	5,774.81
1.2	उचित मूल्य	5,774.81
	उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए, सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर की कीमत उचित मूल्य से वास्तव में भिन्न है.	-
2	निवेश के प्रकार	
2.1	एचटीएम	-
2.1.1	सार्वजनिक रूप से ट्रेड की गई	-
2.1.2	निजी रूप से धारित	5,780.06

क्र.सं.	मद	राशि
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री तथा परिसमापनों से उत्पन्न संचयी वसूली प्राप्तियां (हानियां)	-
4	कुल अवसूलीकृत प्राप्तियां (हानियां)*	-
5	कुल अंतर्निहित पुनर्मूल्यांकन प्राप्तियां (हानियां)**	-
6	उपरोक्त में से कोई भी राशि जो टीयर 1 और/ या टीयर 2 पूंजी में शामिल है.	-
7	विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में किसी पर्यवेक्षी परिवर्तन अथवा पुराने प्रावधानों के अधीन बैंक की कार्य पद्धति, कुल राशि तथा इक्विटी निवेश के प्रकार के अनुसार उचित इक्विटी समूहीकरण द्वारा अलग-अलग की गई पूंजी आवश्यकताएं.	

*तुलन-पत्र में निर्धारित अप्राप्त लाभ (हानि), लेकिन लाभ-हानि खाते के माध्यम से नहीं।

** अप्राप्त लाभ (हानि) जो न तो तुलन-पत्र में और न ही लाभ-हानि खाते में दर्ज हैं।

डीएफ -17- दिनांक 31.03.2023 को लेखांकन आस्तियों व लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश

लीवरेज अनुपात की गणना पूंजी एवं कुल एक्सपोजर की परिभाषा का उपयोग कर की जाती है। बैंक के लीवरेज अनुपात की गणना निम्नलिखित समेकित फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है:

क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	1,52,58,792.46
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक इकाइयों में निवेश के लिए समायोजन, जो लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किए गए हैं परंतु विनियामक समेकन से बाहर हैं.	(30,600.75)
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल की गई वैश्वासिक आस्तियों के लिए समायोजन, परंतु जो लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं है.	0.00
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत समायोजन के लिए	1,24,852.74
5	प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहारों के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो एवं उसके समान सुरक्षित ऋण)	20,310.23

6	तुलन-पत्र बाह्य मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर की क्रेडिट समकक्ष राशियों में रूपान्तरण)	10,36,556.90
7	अन्य समायोजन	(3,03,213.16)
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	1,61,06,698.42

डीएफ-18 – दिनांक 31.03.2023 को लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण नमूना

क्र.स.	मद	(₹ मिलियन में)
तुलन-पत्र का एक्सपोजर		
1	तुलन-पत्र की मदें (डेरिवेटिव्स तथा एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को मिलाकर)	1,49,55,579.30
2	(परिचालित बासेल III टीयर 1 पूंजी में घटाई गई आस्ति राशियां)	(30,600.75)
3	तुलन-पत्र का कुल एक्सपोजर	1,49,24,978.55
डेरिवेटिव एक्सपोजर		
4	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों में सम्मिलित प्रतिस्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी अंतर मार्जिन का निवल)	29,893.95
5	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों में सम्मिलित पीएफ़ई के लिए वर्धित राशियां	94,958.79
6	डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रेस-अप बशर्ते कि जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसार तुलनपत्र आस्तियों से घटाई गई हों	-
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में नकदी अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	-
8	(क्लाइंट-क्लीयर्ड ट्रेड एक्सपोजर की छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	-
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	-
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफसेट एवं एड-ऑन कटौती)	-
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर	1,24,852.74
प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार एक्सपोजर		

12	सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग स्वीकृति रहित), बिक्री लेखांकन संव्यवहारों के लिए समायोजन करने के पश्चात	-
13	(सकल एसएफटी आस्तियों की नकदी देय तथा नकदी प्राप्य की नेटिंग की गई राशि)	-
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	20,310.23
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोजर	-
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार एक्सपोजर	20,310.23
अन्य तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर		
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर	34,06,082.75
18	(ऋण समकक्ष राशियों के रूपांतरण के लिए समायोजन)	(23,69,525.85)
19	तुलन-पत्र बाह्य मर्दे	10,36,556.90
पूँजीगत एवं कुल एक्सपोजर		
20	टीयर 1 पूँजी	10,49,017.51
21	कुल एक्सपोजर	1,61,06,698.42
लीवरेज अनुपात		
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	6.51%

दिनांक 31.03.2023 को लीवरेज अनुपात (एकल)

पूँजीगत एवं कुल एक्सपोजर (₹ मिलियन में)	
टीयर 1 पूँजी	9,75,827.40
कुल एक्सपोजर	1,56,90,852.79
लीवरेज अनुपात	
बासेल III लीवरेज अनुपात	6.22%

PILLAR 3 DISCLOSURES (CONSOLIDATED) AS ON 31.03.2023

DF-1: Scope of Application as on 31.03.2023

The consolidated capital adequacy is based on consolidated financial statements of Bank of Baroda and its subsidiaries, prepared in accordance with RBI guidelines for consolidated accounting and other quantitative methods issued vide circular no. RBI/2022-23/12 DOR.CAP.REC.3/21.06.201 /2022-23 dated 1st April 2022.

In accordance with the guidelines issued by RBI, the insurance and non-financial subsidiaries have been excluded from consolidation for the purpose of capital adequacy. The entities which carry on activities of financial nature are considered for consolidation for capital adequacy purpose as stated in the scope for preparing consolidated prudential reports laid down in RBI guidelines. For preparation of the Consolidated Financial Statements, the Bank consolidates all subsidiaries as defined in Accounting Standard - 21 (AS-21) Consolidated Financial Statements on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses. Further, investments in Associates are consolidated using the equity method of accounting as defined by Accounting Standard – 23 (AS -23) and investments in Joint Ventures are consolidated using the proportionate method of accounting as defined by Accounting Standard – 27 (AS-27).

i. Qualitative Disclosures:

a. List of Group entities considered for consolidation as on 31.03.2023:

Sl No	Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation (accounting Consolidation)	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation (regulatory Consolidation)	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
1	The Nainital Bank Ltd. / India	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable
2	BOB Capital Markets Ltd /India	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable
3	BOB Financial Solutions Ltd. / India	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable
4	Bank of Baroda (Botswana) Ltd./ Botswana	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable
5	Bank of Baroda (Kenya) Ltd. / Kenya	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable
6	Bank of Baroda (Uganda) Ltd. / Uganda	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable
7	Bank of Baroda (Guyana) Inc. /Guyana	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable
8	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. /Tanzania	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable
9	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. /New Zealand	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable

SI No	Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation (accounting Consolidation)	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation (regulatory Consolidation)	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
10	Bank of Baroda (UK) Ltd. / UK	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable
11	India First Life Insurance Company Ltd. / India	Yes	Line By Line Basis	No	Not Consolidated	Not Applicable	Insurance Subsidiary: Not under scope of Regulatory Consolidation
12	India International Bank (Malaysia) Bhd. / Malaysia	Yes	Proportionate Consolidation Method	No	Not Consolidated	Not Applicable	Joint Venture: Not under scope of Regulatory Consolidation
13	India Infradebt Ltd. / India	Yes	Proportionate Consolidation Method	No	Not Consolidated	Not Applicable	Joint Venture: Not under scope of Regulatory Consolidation
14	Indo Zambia Bank Limited / Zambia	Yes	Equity Method	No	Not Consolidated	Not Applicable	Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation
15	Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt Ltd. / India	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable
16	Baroda BNP Paribas Trustee India Pvt Ltd / India	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	Not Applicable	Not Applicable
17	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank / India	Yes	Equity Method	No	Not Consolidated	Not Applicable	Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation
18	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank / India	Yes	Equity Method	No	Not Consolidated	Not Applicable	Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation
19	Baroda Gujarat Gramin Bank / India	Yes	Equity Method	No	Not Consolidated	Not Applicable	Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation
20	Baroda Global Shared Services Ltd. / India	Yes	Line By Line Basis	No	Not Consolidated	Not Applicable	Non-Financial Subsidiary- Not under scope of Regulatory Consolidation
21	Baroda Sun Technologies / India	Yes	Line By Line Basis	No	Not Consolidated	Not Applicable	Non-Financial Subsidiary- Not under scope of Regulatory Consolidation

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

ii. Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation as on 31.03.2023:

(Rs. in Crores)

SI No	Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
1	The Nainital Bank Ltd. / India	Banking	726.69	8595.54
2	BOB Capital Markets Ltd /India	Investment Banking, Institutional Broking & Wealth Management	161.22	180.13
3	BOB Financial Solutions Ltd. / India	Consumer Financing for Credit Cards & Personal Loans	1061.55	3533.08
4	Bank of Baroda (Botswana) Ltd./ Botswana	Banking	320.88	2001.75
5	Bank of Baroda (Kenya) Ltd. / Kenya	Banking	1933.71	13049.14
6	Bank of Baroda (Uganda) Ltd. / Uganda	Banking	1373.87	5425.65
7	Bank of Baroda (Guyana) Inc. /Guyana	Banking	142.78	967.37
8	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. /Tanzania	Banking	173.46	829.70
9	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. /New Zealand	Banking	268.75	714.01
10	Bank of Baroda (UK) Ltd. / UK	Banking	1668.38	8186.76

(Rs. in Crores)

SI No	Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
11	India First Life Insurance Company Ltd. / India	Life Insurance	1072.19	22502.00
12	India International Bank (Malaysia) Bhd. / Malaysia	Banking	603.05	863.01
13	India Infradebt Ltd. / India	Infrastructure Debt Fund	2922.44	19315.57
14	Indo Zambia Bank Limited / Zambia	Banking	807.77	6385.48
15	Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt Ltd. / India	Asset Management	154.15	199.96
16	Baroda BNP Paribas Trustee Co. Pvt Ltd / India	Holding Company of AMC	0.25	0.44
17	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank / India	Banking	2551.44	64909.41
18	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank / India	Banking	2703.86	32933.19
19	Baroda Gujarat Gramin Bank / India	Banking	510.23	12728.93
20	Baroda Global Shared Services Limited/India	Digitization of process & Centralized Back Office Operations	39.55	56.51
21	Baroda Sun technology Limited/India	IT Centre of Excellence	4.59	4.69

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NIL				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

With regard to restriction and impediments, local laws and regulations of host countries are applicable.

DF-2: Capital Adequacy as on 31.03.2023

Qualitative Disclosures:

(a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

The Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses. The Bank has a well-defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document all risks & to provide appropriate capital so as to evolve a fully integrated risk/ capital model for both regulatory and economic capital. Capital planning under ICAAP takes into account the demand for capital from businesses for their growth plans and ensures that the Group on an aggregate basis as well as the major legal entities on a standalone basis are sufficiently capitalized for the specified time horizon and hold sufficient capital buffers to withstand stress condition. Moreover, stress testing is a key element of the ICAAP and an integral tool in the Risk Management framework that provides management a better understanding of how portfolios perform under adverse economic conditions. The Bank performs Reverse Stress testing across key risk areas to test stress levels at which capital falls below the internal capital threshold.

In line with the guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing Capital to Risk-weighted Asset Ratio (CRAR).

The capital requirement is affected by the economic environment, regulatory requirement and by the risk arising from the Bank's activities. Capital Planning exercise of the Bank is carried out every year

to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at the time of economic recession. In capital planning process the Bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy, policy and risk appetite.
- The future capital planning on a five-year outlook.

Quantitative Disclosures:

Capital requirements for various risk categories as on 31.03.2023

(Rs. in Crores)

(b) Capital requirements for credit risk	
• Portfolios subject to Standardized Approach	69,185.75
• Securitization exposures	Nil

(c) Capital requirements for market risk	
• Standardized Duration Approach	
- Interest rate risk	4,200.68
- Foreign exchange risk (including gold)	128.92
- Equity risk	1,217.15

(d) Capital requirements for operational risk	
• Basic Indicator Approach	8,367.21
• The Standardized Approach (if applicable)	Not applicable

(e) Capital Adequacy Ratios	Consolidated	Standalone
Common Equity Tier I Capital Ratio	12.83%	12.24%
Tier I Capital Ratio	14.52%	13.99%
Total Capital Ratio (CRAR)	16.73%	16.24%

DF-3: Credit Risk: General Disclosures as on 31.03.2023

Qualitative Disclosures:

a. The policy of the Bank for classifying its loan assets is as under:

- **PAST DUE AND IMPAIRED ASSETS OF THE BANK:**

The Non- Performing Assets (NPA) and Non- Performing Investments (NPI) of the Bank, as per the Income Recognition and Asset Classification (IRAC) norms of RBI, are classified under past due and impaired assets.

- **DISCUSSION OF THE BANK'S CREDIT RISK MANAGEMENT POLICY THE CREDIT RISK PHILOSOPHY, ARCHITECTURE AND SYSTEMS OF THE BANK:**

Credit Risk Philosophy:

- To optimize the risk and return envisaged in order to see that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of the Bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the Bank in an orderly manner to enable the various channels to achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instil a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the Bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speedy delivery, in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

i. Risk Management Committee of the Board (RMCB):

- a. RMCB has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the Bank.

ii. Credit Policy Committee (CPC):

- a. CPC has been set up to formulate and implement various credit risk strategies including lending policies.
- b. Formulating policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.

iii. Credit Risk Management Team:

- a. It deals with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- b. Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.
- c. Laying down risk assessment systems, developing MIS, monitoring quality of loan portfolio, identification of problems and correction of deficiencies.
- d. Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.
- e. Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the Bank's overall strategy and credit policy.

The Bank's robust credit risk rating system is based on internationally adopted frameworks and global best practices and assists the Bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allows the Bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

Quantitative Disclosures:

Credit exposure include term loans, working capital facilities (i.e. funded facilities like Cash Credit, Demand Loans, Ad-hoc limits, Credit Substitutes, Non-funded facilities like Letter of Credit, Acceptances and Bank Guarantees) and current exposure for derivatives.

b. Total Gross Credit Exposures:

(Rs. in Crores)

Particulars	Fund Based Exposure	Non-Fund Based Exposure	Total Exposures
Total Gross Credit Exposures	12,39,552.04	1,51,291.14	13,90,843.18

c. Geographic distribution of exposures:

(Rs. in Crores)

Particulars	Fund Based Exposure	Non-Fund Based Exposure	Total Exposures
Total Gross Credit Exposures : (Domestic Operations + Domestic Subsidiaries)	10,30,410.86	1,38,669.53	11,69,080.39
Total Gross Credit Exposures : (Overseas Operations + Overseas Subsidiaries)	2,09,141.18	12,621.61	2,21,762.79
Total Gross Credit Exposures	12,39,552.04	1,51,291.14	13,90,843.18

Note: Exposure includes credit exposure (funded and non-funded credit limits), investment exposure (including underwriting and similar commitments) and derivatives exposure which includes MTM and Potential Future exposure.

d. Consolidated Industry type distribution of exposures:

(Rs. in Crores)

Industry	FB Exposure	NFB Exposure	Total
<u>A. Mining and Quarrying</u>	13,314.40	2,446.42	15,760.82
A.1 Coal	2,067.20	487.12	2,554.32
A.2 Other	11,247.20	1,959.30	13,206.50
<u>B. Food Processing</u>	23,073.52	3,991.83	27,065.35
B.1 Sugar	2,712.18	19.07	2,731.25
B.2 Edible Oils and Vanaspati	2,658.72	1,484.61	4,143.33
B.3 Tea	441.37	13.84	455.21
B.4 Coffee	14.61	7.00	21.61
B.5 Others	17,246.64	2,467.31	19,713.95
<u>C. Beverages</u>	1,010.47	25.93	1,036.40
C.1 Tobacco and tobacco products	663.56	13.93	677.49

(Rs. in Crores)

Industry	FB Exposure	NFB Exposure	Total
C.2 Others	346.91	12.00	358.91
<u>D. Textiles</u>	23,581.17	3,910.98	27,492.15
D.1 Cotton Textile	13,447.68	678.98	14,126.66
D.2 Jute Textile	303.44	3.90	307.34
D.3 Handicraft/ Khadi /Silk/Woolen	397.69	40.94	438.63
D.4 Other Textile	9,432.36	3,187.16	12,619.52
<u>E. Leather and Leather Products</u>	1,361.80	182.35	1,544.15
<u>F. Wood and Wood Products</u>	1,619.55	152.11	1,771.66
<u>G. Paper and Paper Products</u>	3,849.14	200.30	4,049.44
<u>H. Petroleum</u>	38,008.18	9,631.25	47,639.43
<u>I. Chemicals and Chemical Products</u>	45,022.22	9,758.44	54,780.66
I.1 Fertilizers	6,460.88	3,897.41	10,358.29
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	10,918.32	2,162.10	13,080.42
I.3 Petro-Chemicals	5,333.65	1,201.63	6,535.28
I.4 Other	22,309.37	2,497.30	24,806.67
<u>J. Rubber Plastic and their Products</u>	8,375.28	980.24	9,355.52
<u>K. Glass and Glassware</u>	781.33	72.81	854.14
<u>L. Cement and Cement Products</u>	3,194.47	825.54	4,020.01
<u>M. Basic Metal and Metal Products</u>	27,430.25	13,677.95	41,108.20
M.1 Iron and Steel	21,683.52	11,973.04	33,656.56
M.2 Other Metal and Metal Products	5,746.73	1,704.91	7,451.64
<u>N. All Engineering</u>	21,626.70	14,544.49	36,171.19
N.1 Electronics	1,938.78	604.70	2,543.48
N.2 Other Engineering	19,687.92	13,939.79	33,627.71
<u>O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment's</u>	6,546.77	896.96	7,443.73
<u>P. Gems and Jewellery</u>	3,953.35	667.70	4,621.05
<u>Q. Construction</u>	21,803.08	23,298.52	45,101.60
<u>R. Infrastructure</u>	1,49,859.32	12,634.20	1,62,493.52
R.1 Transport	42,898.55	2,521.00	45,419.55
R.1.1 Railways	1,189.92	3.23	1,193.15
R.1.2 Roadways	40,097.63	2,485.92	42,583.55

(Rs. in Crores)

Industry	FB Exposure	NFB Exposure	Total
R.1.3 Aviation	1,239.56	4.41	1,243.97
R.1.4 Waterways	0.00	0.00	0.00
R.1.5 Others Transport	371.44	27.44	398.88
R.2 Energy	75,685.21	7,145.13	82,830.34
R.2.1 Non-Renewable Energy	56,525.90	3,752.54	60,278.44
R.2.2 Renewable Energy (Solar, Wind, Hydel)	13,869.05	1,492.08	15,361.13
R.2.3 Oil & Gas (Storage & Pipeline)	5,290.26	1,900.51	7,190.77
R.3 Others	31,275.56	2,968.07	34,243.63
R.3.1 Telecommunication	15,725.78	1,791.65	17,517.43
R.3.2 Water Sanitation	7,889.62	303.03	8,192.65
R.3.3 Social and Commercial Infrastructure	4,268.96	162.55	4,431.51
R.3.4 Other Infrastructure	3,391.20	710.84	4,102.04
S. Other Industries	11,602.65	1,301.95	12,904.60
T. All Industries (Sub Total: A+B+.....+S)	4,06,013.65	99,199.97	5,05,213.62
U. Residuary Other Advances	8,33,538.39	52,091.17	8,85,629.56
U.1 Aviation Sector	11,668.84	1,384.16	13,053.00
U.2 NBFC	1,44,256.51	0.00	1,44,256.51
U.3 Other residuary Advances	6,77,613.04	50,707.01	7,28,320.05
Total Exposure (T+U)	12,39,552.04	1,51,291.14	13,90,843.18

Credit exposure in industries where exposure is more than 5% of the total credit exposure of the Bank (Consolidated) are as follows:

SI No	Industry	Exposure Amount (Rs. in Crores)	% of Total Credit Exposure
1	Infrastructure	1,62,493.52	11.68%
2	NBFC	1,44,256.51	10.37%

e. Residual Contractual Maturity breakdown of Assets:

(Rs. in Crores)

Time Bucket	Cash and Balance with Central Bank	Balances with Banks & Money at call & short notice	Advances	Investments	Fixed assets	Other assets	Total
1 D	17,858.42	23,268.06	5,936.03	9,497.41	-	372.88	56,932.80
2-7 D	89.55	5,443.89	10,414.80	1,07,385.29	-	1,743.43	1,25,076.96
8-14 D	175.59	594.86	12,283.42	5,659.39	-	512.05	19,225.31
15-30 D	3,413.73	1,029.47	13,391.32	7,515.94	-	2,191.02	27,541.48
31 D-2 M	1,214.64	1,599.58	21,270.58	8,744.46	0.00	2,222.74	35,052.00
2-3 M	1,336.83	645.68	34,813.59	10,297.59	0.00	2,210.72	49,304.41
3 - 6 M	3,170.12	7,805.98	65,022.39	21,178.08	0.00	3,804.61	1,00,981.18
6 - 12 M	6,558.05	5,241.14	1,02,593.60	38,443.72	0.00	10,185.93	1,63,022.44
1 - 3 Y	10,326.29	48.52	3,82,065.18	67,192.92	0.00	11,425.00	4,71,057.91
3 - 5 Y	2,055.93	0.00	1,39,885.45	22,893.18	0.00	4,922.20	1,69,756.76
Over 5 Y	10,497.06	0.00	1,75,975.47	98,157.30	8,956.79	12,908.37	3,06,494.99
Total	56,696.21	45,677.18	9,63,651.83	3,96,965.28	8,956.79	52,498.95	15,24,446.24

NPA and Provision movement chart:

(Rs. in Crores)

f.	Amount of NPAs (Gross)	37,854.05
	Substandard	5,546.60
	Doubtful 1	4,413.03
	Doubtful 2	8,997.29
	Doubtful 3	6,616.53
	Loss	12,280.60

(Rs. in Crores)

g.	Net NPA	8,792.00
-----------	----------------	-----------------

h.	NPA Ratios	
	Gross NPAs to Gross Advances	3.83%
	Net NPAs to Net Advances	0.92%

(Rs. in Crores)

i.	Movement of NPA (Gross)	
	Opening balance (As on 01.04.2022)	55,128.17
	Additions	10,471.42
	Reductions	28,792.05
	Any Other Adjustment (Exchange Diff.)	1,046.51
	Closing Balance	37,854.05

(Rs. in Crores)

j.	Movement of Provisions	General Provision	Specific Provision
	Opening balance	7,271.35	41,224.13
	Provision made during the year	611.60	9081.60
	Write off/ Write-back of excess provisions	0.00	22,071.57
	Any Other Adjustment (Exchange Diff.)	62.06	751.92
	Closing Balance	7,945.01	28,986.08*
	Write-offs that have been booked directly to income statement	1,946.62	
	Recoveries that have been booked directly to income statement	4,780.79	

*The provision amount is not inclusive of INR 75.97 crores (INR 12.00 cr being the amount for adjustment pertaining to interest capitalization in FITL accounts and INR 63.97 cr being amount for floating provisions and loan subsidy of Nainital Bank). This amount has been additionally deducted to arrive at the Net NPA position.

(Rs. in Crores)

Non Performing Investments		
k.	Amount of Non-Performing Investments	4,503.34
l.	Amount of provisions held for non-performing investment	4,193.85

(Rs. in Crores)

m.	Movement of provisions for depreciation on investments	
	Opening balance	5,028.49
	Provisions made during the period	2,598.86
	Write off	576.43
	Write-back of excess provisions/exchange difference	1,094.37
	Closing balance	5,956.55

(Rs. in Crores)

n.	NPA in major Industries	Industry	% to Total NPA Balance Outstanding (FB+NFB)	NPA Balance Outstanding (FB+NFB)
		Infrastructure	4.79%	1,813.84
		All Engineering	4.99%	1,887.81
		Chemicals And Chemical Products (Dyes Paints Etc.)	4.29%	1,625.28
		Textiles	3.44%	1,304.03
		Basic Metal and Metal Products	1.78%	675.24
		a. Specific provision of the above mentioned five industries		7,874.41
		b. Specific provisions during the current period		(1,083.31)
		c. Write offs during the current period		874.28

(Rs. in Crores)

o.	Amount of Gross NPAs broken down by significant geographical areas		Gross NPA
		Domestic Operations	26,579.05
		Domestic Subsidiaries	610.39
		International Operations	10,184.64
		International Subsidiaries	479.97

(Rs. in Crores)

	Specific Provision for above		Specific Provision
		Domestic Operations	18,799.88
		Domestic Subsidiaries	399.54
		International Operations	9,567.48
		International Subsidiaries	219.18

DF-4: Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardized Approach as on 31.03.2023

Qualitative Disclosures:

a. For portfolios under the standardized approach:

i. External Credit Rating Agencies:

Under Standardized Approach, the Bank accepts ratings of RBI approved External Credit Assessment Institutions (ECAIs) namely Acuite Ratings & Research Limited (Acuite), Credit Analysis and Research Limited (CARE), CRISIL Ratings Limited (CRISIL), ICRA Limited (ICRA), India Ratings and Research Private Limited (India Ratings), and INFOMERICS Valuation and Rating Pvt Ltd. (INFOMERICS) for domestic credit exposures. For overseas credit exposures, the Bank accept ratings of Standard & Poor's, Moody's and Fitch.

ii. Types of exposures:

The Bank encourages NBFC, Corporate and Public Sector Entity (PSE) borrowers to solicit credit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

iii. Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable asset in the Banking Book:

The Bank's external ratings application framework are as follows:

1. The Bank uses only those ratings that have been solicited by the counterparty. Foreign sovereign and Foreign Bank exposures are risk-weighted based on issuer ratings assigned to them.
2. The Bank encourages all eligible borrowers to solicit credit ratings from the RBI approved ECAI and uses these ratings for calculating Risk weighted assets, wherever such ratings are available.
3. The RBI guidelines outline specific conditions for facilities that have multiple ratings. In this context, the rating corresponding to the two lowest risk weights should be referred to & the higher of those two risk weights should be applied i.e. second lowest risk weights.
4. The Bank ensures that the external rating of the facility/borrower has been reviewed at least once by the ECAI during the previous 15 months and is in force on the date of its application.

5. As per RBI guidelines dated April 01, 2022, Claims on corporates, AFCs, and NBFC-IFCs having aggregate exposure from Banking system of more than Rs.100 crore which were rated earlier and subsequently have become unrated & accounts having aggregate exposure of more than Rs.200 crores from the banking system and are unrated will be risk weighted at 150%.

Quantitative Disclosures:

- b. The exposure amounts after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the three major risk buckets are as under:

(Rs. in Crores)

Category of Risk Weight	Total
Below 100% risk weight	9,59,873.26
100% risk weight	2,72,345.45
More than 100 % risk weight	52,239.28
Credit Risk Mitigants (CRM) Deducted*	1,06,385.19
Total Exposure including CRM (FB+NFB)	13,90,843.18

* CRM also includes provisions on NPA accounts.

DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches as on 31.03.2023

Qualitative Disclosures:

- a. The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:
- Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting:
 - **Policies and processes for collateral valuation and management:**
 The Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. The Bank has adopted reduction of exposure in respect of certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever corporate guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk is transferred to the guarantor to the extent of guarantee available.

The Bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the Bank. The securities mentioned below at Sl. No. (iv) to (x) are recognized as Credit Risk Mitigants (CRM) for exposure- netting under Basel-III standardized approach for credit risk following Comprehensive Approach of Basel-III norms.

○ **Description of the main types of collateral taken by the Bank:**

Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

- (i) Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
- (ii) Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
- (iii) Shares as per approved list
- (iv) Bank's Own Deposits
- (v) NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
- (vi) Debt Securities - rated by approved credit rating agency- with certain conditions
- (vii) Debt Securities- not rated- issued by a Bank- with certain conditions
- (viii) Units of Mutual Funds
- (ix) Cash Margin against Non-fund based facilities
- (x) Gold and Gold Jewellery.

○ **Main types of Guarantor Counterparty and their credit worthiness:**

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate/PSEs
- Central Government
- State Government
- Export Credit Guarantee Corporation (ECGC)
- Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Credit protection given by Sovereigns, Sovereign entities (including exposures backed up by Central & State Government guarantees, ECGC, CGTMSE, Banks & PSEs) will attract lower risk weight than the counterparty.

○ **Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken:**

The Bank has a diversified portfolio of assets which are secured by various types of collaterals which includes eligible financial collaterals listed above, guarantees by

sovereigns and well-rated corporates & fixed assets and current assets of the counterparty.

Quantitative Disclosures:

- b. For each credit risk portfolio, total exposure that is covered by eligible financial collateral, after application of haircut is as under (as on 31.03.2023):

(Rs. in Crores)	
Credit Risk Portfolio	Total
Claims on Banks	201.63
Commercial Real Estate	1,515.70
Corporates	33,459.22
Domestic Sovereigns	203.45
Foreign Sovereigns	0.22
Other Assets	649.42
Public Sector Entity	3,698.50
Regulatory Retail Portfolio	23,366.17
Residential Property	1,154.87
Specified Categories	42,136.01
Primary Dealers	0.00
MDBS, BIS and IMF	0.00
TOTAL	1,06,385.19

(Rs. in Crores)	
c. For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	88,351.64

**DF-6: Securitization Exposures: Disclosure for Standardized Approach as on
31.03.2023**

Qualitative Disclosures		
(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to securitization including a discussion of:	
	The bank's objectives in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitized exposures away from the bank to other entities.	Nil
	The nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitized assets;	Not Applicable
	<p>The various roles played by the bank in the securitization process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider@, protection provider#) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;</p> <p>@ A bank may have provided support to a securitization structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules.</p> <p># A bank may provide credit protection to a securitization transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules.</p>	Not Applicable
	A description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (for example, how the behavior of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated July 1, 2012).	Not Applicable
	A description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposures;	Not Applicable

(b)	Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including:	
	Whether the transactions are treated as sales or financings;	Not Applicable
	Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	Not Applicable
	Changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	Not Applicable
	Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets.	Not Applicable
(c)	In the banking book, the names of ECAs used for securitization s and the types of securitization exposure for which each agency is used.	Not Applicable
Quantitative Disclosures: Banking Book		
(d)	The total amount of exposures securitized by the bank.	Nil
(e)	For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	Nil
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	Nil
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year before Securitization.	Not Applicable
(h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	Nil
(i)	Aggregate amount of:	
	On-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and	Nil
	Off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(j)	Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach	Nil

	Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	Nil
Quantitative Disclosures: Trading Book		
(k)	Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	Nil
(l)	Aggregate amount of:	
	On-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	Nil
	Off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.	Nil
(m)	Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:	Nil
	Securitization exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and	Nil
	Securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.	Nil
(n)	Aggregate amount of:	
	The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands.	Nil
	Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	Nil

DF-7: Market Risk in Trading Book as on 31.03.2023

Qualitative Disclosures:

- a. The general qualitative disclosure for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse movements in market prices. The following risks are managed under Market Risk in trading book:

- Interest Rate Risk

- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, the Bank's Board has laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits help to check the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses.

The Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines viz. Standardized Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregate Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken into consideration for calculating the Bank's CRAR under Basel-III.

Quantitative Disclosures:

- b. Capital requirement for Market Risk (as per Standardized Duration Approach) as on 31.03.2023 are as under:**

(Rs. in Crores)

Risk Category	Minimum Capital requirement
Interest Rate Risk	4,200.68
Foreign Exchange Risk	128.92
Equity Position Risk	1,217.15
Total Capital Charge	5,546.75

DF-8: Operational Risk

Qualitative Disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events. The definition is "causal based", providing a breakdown of operational risk into four categories based on its sources: (a) people, (b) process, (c) system, and (d) external factors. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks. Legal risk includes, but is not limited to, exposures to fines, penalties or punitive damages resulting from supervisory actions, as well as ordinary damages in civil litigation, related legal costs and private settlements.

a. Operational Risk Management Framework:

The Bank has a robust Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management System (ORMS) in place to facilitate quantitative and qualitative aspects of Operational Risk, in line with the Bank's size, nature and complexities of its activities and in compliance with applicable regulatory RBI / Basel III guidelines.

The Bank's Board of Directors through its various committees i.e. Risk Management Committee of the Board (RMCB), Enterprise Risk Management Committee (ERMC), Product and Process Approval Committee (PPAC), provides guidance and direction for implementation of ORMF and ensures effective management of Operational Risk.

- RMCB is a board level committee responsible for overall Operational Risk profile, ORMF and its continued appropriateness.
- ERMC is a committee of senior management responsible for management and measurement of enterprise-wide risks. The committee is responsible for design and implementation of ERM Framework including ORM framework.
- PPAC is a senior level committee responsible for approval of new product / process / system and approval of modification in existing product / process/ system.
- Operational Risk Management (ORM) Cell is a part of Risk Management Department which is headed by Chief Risk Officer. ORM Cell is an independent function, works in liaison with the business units, corporate management and all other functions and departments of the Bank to implement ORMF, codify Bank wide policies, manuals and procedures concerning Operational Risk management and measurement, conduct ORM sensitization across the Bank for development and maintenance of operational risk management culture, develop ORM risk appetite and strategy, implement Loss Data, Risk and Control Self-Assessment (RCSA) and Key Risk Indicator (KRI) requirement as per internal policies and regulatory guidelines.

b. Objective of Operational Risk Management:

The objective of the Bank's Operational Risk Management is to manage and control Operational risks in effective manner and establish explicit and consistent standards for Operational Risk Management (ORM) in the Bank. The ORM aims to:

- Develop a culture for management of Operational Risk at Bank wide level
- Establish risk appetite for the Bank

- Establish Operational Risk Management Strategy of the Bank and issue guidance based on risk profile.
- Ensure responsibilities and accountabilities at all level of staff with adequate number of resources having requisite level of qualification, experience and training in order to effectively manage operational risk.
- Ensure an effective and sound internal control system in the Bank.
- Oversee the adequacy of control processes in respect of the continuing appropriateness of the ORMS.
- Develop a common understanding of Operational Risk across the Bank, to assess Operational Risk of business, operation and support groups, and take appropriate actions.
- Help business and operations to improve internal controls throughout the Bank, thereby reducing the probability and potential impact of losses from operational risk.
- Understand significant risks and their strategic implications and effects on the Bank.
- Review overall risk profile of the Bank including key issues, risk incidents, limit breaches, internal and external changes having material impact on the risk profile of the Bank, non- compliance with policy and procedures, and pending corrective action plan.

c. Risk Identification, Measurement and Monitoring:

To have a sound operational risk governance structure and manage operational risk the Bank has adopted three Lines of Defence mechanism. While day to day operational risk management lies with First Line of Defence (business function, operations and support function), the Bank's ORM Cell works as Second Line of Defence and is responsible for designing methodologies for identification, measurement and monitoring of operational risk at the Bank wide level. Thirdly, internal audit reviews policies and procedures that are appropriate and are implemented effectively. Internal audit works as an independent function and provides assurance to Board / Board Committee on the adequacy and effectiveness of risk management framework.

The ORM cell identifies Operational Risk inherent in the processes, products, systems and external environment of the different business and administrative units of the Bank and submits the analysis reports to ERM, the Risk Management Committee on a periodic basis for directions. Operational Risk exposures (risk and control self-assessment results, operational risk incidents analysis, key risk indicators and open risks) are monitored by the

ORMC on a regular basis and reported to the business heads in the form of dashboard on a periodic basis.

d. Processes and strategies adopted by the Bank for Operational Risk Management are as under:

- Internal Operational Risk loss data are collected, analyzed and monitored in systematic manner and reported to ERM and RMCB on periodical basis. The loss data collection is done through a web based system by the entities where the incident has happened. Near Miss Events are also captured to identify control gaps and improve risk management practices.
- The Bank collects external operational risk Loss Data to understand industry experience and to assess adequacy of our internal controls. In order to gain access of the External Loss database, the Bank has taken membership of the CORDEX, a consortium of Indian Banks, established for collection of industry level Operational Risk losses.
- The Bank has a comprehensive database of internal and external losses which are collected and monitored as per Basel defined 8 Business Lines and 7 Loss Event Types.
- The Bank has implemented RCSA exercise to proactively identify and evaluate the risks involved in products/ processes / systems and to identify control gaps. For new product/ process / system owner department conducts assessment of inherent risk and implement control measures to mitigate or minimize the criticality of the risk to bring down under acceptable appetite. For existing products, RCSA assessment is conducted by end users i.e. users at first line of defense.
- The Risk culture is being inculcated in the organization with the help of various workshops specifically through RCSA workshops and other gatherings.
- All new products, processes & systems are rolled out after proper scrutiny through RCSA process in which inherent risk are identified, assessed and appropriate controls are incorporated before their launch.
- The Bank has employed Key Risk Indicator (KRI) programme to sense the pulse of potential risk on a pro-active basis to enable the Bank to take appropriate action in a timely manner. These KRIs are monitored on defined frequency and identified threshold levels. Corrective Action Plan are initiated by KRI Owner functions for all KRIs, breaching the threshold.

- The Bank has implemented a web based Operational Risk Management System for systemic, holistic and integrated management of Operational Risk in the Bank. The system contains module such as Incident Management (IMM), Risk and Control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI) and Issues & Action Plan (I&A).

e. Operational Risk Management in Overseas Branches and Banking Subsidiaries:

Operational Risk Management Policy of the Bank is applicable to all branches / offices / corporate office of the Bank including Overseas Branches / Territories, Domestic and International Subsidiaries, depending upon its business profile, nature, size and complexity of operations. Adoption of group level Operational Risk Management Framework by international subsidiaries and overseas branches / territories is subject of compliance of home-host requirement.

f. Capital requirement for Operational Risk:

In line with RBI guidelines, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Under Basic Indicator Approach, average gross income of last 3 years is taken into consideration for arriving at Risk Weighted Assets. Accordingly, the capital requirement for Operational Risk is Rs. 8,367.21 Crores.

DF 9. Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) as on 31.03.2023

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book is measured and monitored in accordance with the guidelines laid out in the Bank's Group Asset Liability Management (ALM) Policy which is based on the RBI "Guidelines on Banks' Group Asset Liability Management Framework – Interest Rate Risk" dated 4th November 2010. Interest Rate Risk is measured in terms of changes in the value of interest rate sensitive positions of the Bank as described below.

The interest rate risk in the Banking book is measured and monitored through following approaches:

a. Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

Under this approach, the impact of the changes in the interest rates on net interest income of the Bank is analysed for a period of one year.

The Earning at Risk is analysed under different scenarios:

- i. Yield curve risk: A parallel shift of 200 bps change in rate of interest is assumed for both rate sensitive assets and liabilities.
- ii. Bucket wise change in yield curve is assumed for both rate sensitive assets and liabilities.
- iii. Basis risk and embedded option risk are assumed as per historical trend.

b. Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term):

Modified duration of rate sensitive assets and liabilities are computed and in turn modified duration gap is arrived to find out the impact of change in interest rate on the Net worth of the Bank.

- This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the rate.
- Impact on the Economic Value of Equity is also analysed for a 200 bps rate shock as required by RBI.

The analysis of the Bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both Domestic as well as Overseas Operations. The economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a quarterly basis.

Quantitative Disclosures:

The increase (decline) in earnings and economic value for change in interest rate shocks are as under:

- a. Earning at Risk:** The following table sets forth the impact on the net interest income for a period of one year due to 200 bps upward movement in the interest rate for the position as on 31st March 2023.

(Rs. in Crores)

Currency	200 Basis point upward movement in the interest rates
INR	4,387.37
USD	798.72
Residual currencies	272.75

- b. Economic Value:** The following table sets forth the impact on economic value of equity due to change in interest rate by 200 bps for the position as on 31st March 2023.

(Rs. in Crores)

Currency	Change in Market Value of Equity due to 200 basis point upward movement in interest rate.
INR	(10,446.94)
USD	(197.50)
Residual currencies	130.24

DF-10: General Disclosures for Exposures Related to Counterparty Credit Risk as on 31.03.2023

Qualitative Disclosures:

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike the Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending Bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

The Bank offers many products like derivative products to customers to enable them to deal with their exposures to interest rate and currencies and to earn a margin over the ruling market price for the derivative. All over-the-counter derivative leads to counterparty credit exposures which the Bank monitors on a regular basis. The margin loaded for these transactions also take into account of the quality and quantity of the credit risk, and the desired return on equity.

The Bank's exposure to counterparty credit Risk is covered under its Counterparty Credit Risk Policy. The Bank ensures adherence to all the due diligence viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party and accordingly decides the level of credit risk mitigation required in the transaction.

To mitigate and monitor the counter party credit exposure, the outstanding derivative transactions to corporate are monitored on a monthly basis and that to the banks on quarterly basis.

Quantitative Disclosures:

The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM) and the balance outstanding as on 31.03.2023 is given below:

(Rs. in Crores)

Particulars	Notional Amounts	Current Exposure	Exposure under Current Exposure Method (CEM)
Forward forex Contracts (Less than or equal to 14 days)	39,742.14	76.65	819.00
Forward forex Contracts (Over 14 days)	3,18,917.75	3,206.70	8,425.56
Currency Future	469.99	1.26	10.66
Currency Options	10,079.42	137.81	101.36
Interest rate future	0.00	0.00	0.00
Cross Currency Interest Rate Swap	10,839.11	146.86	948.02
Single Currency Interest Rate Swap	96,155.16	1,201.87	1,980.46

DF-11: Composition of Capital as on 31.03.2023

Basel III common disclosure template to be used from 31st March 2017

(Rs. in Millions)

SI No	Items	Eligible Amount	Ref No.
Common Equity Tier 1 Capital : instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	3,23,476.86	A+D
2	Retained Earnings	5,71,229.09	B+E+F+I+C(after deduction of Revaluation Reserve)+Capital Hedge Reserve
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserve)	59,630.20	75% of FCTR (H) + 45 % of Revaluation Reserve (part of capital reserve)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common Share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	1,732.11	Part of J (Minority Interest)
6	Common Equity Tier 1 Capital before regulatory adjustment	9,56,068.27	
Common Equity Tier 1 Capital : regulatory adjustment			
7	Prudential Valuation Adjustment		
8	Goodwill (net of related tax liability)	81.38	Part of L

(Rs. in Millions)

SI No	Items	Eligible Amount	Ref No.
9	Intangibles other than mortgage- service rights (net of tax liability)	2,160.42	
10	Deferred tax assets	0.23	Part of M
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provision to expected loss		
13	Securitization Gain on sale		
14	Gains & losses due to changes in own credit risk on fair values liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investment in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross holdings in common equity	4,315.99	Part of P & S
18	Investment in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	13,977.31	Part of R & S
19	Significant investment in the common stock of Banking financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short position (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary difference (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which : significant investments in the common stock of financial entities		
24	of which : mortgage servicing rights		
25	of which : deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustment (26a+26b+26c+26d)	8,726.46	
26a	of which : Investment in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		

(Rs. in Millions)

SI No	Items	Eligible Amount	Ref No.
26b	of which : Investment in the Equity Capital of the unconsolidated non-financial subsidiaries		
26c	of which : Shortfall in the Equity Capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank		
26d	of which : Unamortised pension funds expenditure	8,726.46	Part of L
27	Regulatory adjustment applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Tier 1 and Tier 2 to cover deduction		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	29,261.79	
29	Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	9,26,806.48	
	Additional Tier 1 capital : instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	1,23,550.00	
31	of which : classified as equity under applicable accounting standards (PNCPS)		
32	of which : classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual Debt Instruments)	1,23,550.00	U
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET 1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)		
35	of which : instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustment	1,23,550.00	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	1,338.96	Part of Q & S

(Rs. in Millions)

SI No	Items	Eligible Amount	Ref No.
39	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short position)		
41	National specific regulatory adjustment (41a+41b)		
41a	of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
41b	of which : Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	1,338.96	
44	Additional Tier 1 capital (AT1) capital	1,22,211.04	
44a	Additional Tier 1 capital (AT1) reckoned for capital adequacy	1,22,211.04	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1)	10,49,017.52	
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	59,965.00	PART OF T (After Grandfathering)+V
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2		
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
50	Provisions	99,611.34	G and part of X & W (eligible provisions)

(Rs. in Millions)

SI No	Items	Eligible Amount	Ref No.
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	1,59,576.34	
52	Investments in own Tier 2 instruments		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.06	Part of Q & S
54	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	0.06	
58	Tier 2 capital	1,59,576.28	
59	Total Capital (TC = T1 + T2) (45+58)	12,08,593.80	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	72,26,060.84	
60a	of which: total credit risk weighted assets	60,16,151.85	
60b	of which: total market risk weighted assets	4,82,325.89	
60c	of which: total operational risk weighted assets	7,27,583.10	
Capital ratios and buffers			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.83%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.52%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	16.73%	

(Rs. in Millions)

SI No	Items	Eligible Amount	Ref No.
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%	
65	of which: capital conservation buffer requirement (as a percentage of risk weighted assets)	2.50%	
66	of which: Bank specific countercyclical buffer requirement	0.00	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.50%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.00%	Including CCB
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.50%	Including CCB
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	11.50%	Including CCB
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	66,719.13	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	78,848.69	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach (1.25% of CRWA)	75,201.90	

(Rs. in Millions)

SI No	Items	Eligible Amount	Ref No.
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	0.00	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	0.00	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2023)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	1,23,550.0	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	59,965.00	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	1,000.00	

Notes to Template		(Rs. in Million)
Row	Particular	
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.23
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0.00
	Total as indicated in row 10	0.23
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00

Notes to Template		(Rs. in Million)
Row	Particular	
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	99,611.34
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 Capital	0
	Total of row 50	99,611.34

DF-12: Composition of Capital - Reconciliation Requirements as on 31.03.2023

Step 1:

(Rs. in Millions)			
SI No	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		31.03.2023	31.03.2023
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	10,355.34	10,355.34
	Reserves & Surplus	10,40,191.83	10,14,621.52
	Minority Interest	9,945.90	6,193.22
	Share Application Money Pending Allotment	0.00	0.00
	Total Capital	10,60,493.07	10,31,170.08
ii	Deposits	1,23,46,820.01	1,23,47,815.90
	of which: Deposits from banks	6,26,148.48	6,26,021.29
	of which: Customer deposits	1,17,20,671.53	1,17,21,794.61
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
	of which: Deposit from branches in India	1,05,47,104.75	1,05,49,107.68
	of which: Deposit from branches outside India	17,99,715.26	17,98,708.22
iii	Borrowings	10,79,101.55	10,19,755.46
	of which: From RBI	24,290.00	24,290.00
	of which: From banks	1,15,918.95	1,17,068.95
	of which: From other institutions & agencies	6,01,793.02	5,43,203.80
	of which: borrowing outside India	92,380.19	92,827.72
	of which: Capital instruments	2,34,719.40	2,32,365.00

(Rs. in Millions)

SI No	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		31.03.2023	31.03.2023
	of which: Long term Infrastructure bonds	10,000.00	10,000.00
iv	Other liabilities & provisions	7,72,375.10	5,56,835.13
	Total	1,52,58,789.73	1,49,55,576.57
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	5,66,962.11	5,66,929.74
	Balance with banks and money at call and short notice	4,56,771.77	4,49,419.31
ii	Investments:	39,74,872.34	37,44,628.34
	of which: Government securities	33,98,193.78	33,43,404.06
	of which: Other approved securities	1,02,513.05	14.14
	of which: Shares	63,002.05	22,325.75
	of which: Debentures & Bonds	3,01,740.46	2,72,762.84
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	18,829.07	4,864.57
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	90,593.93	1,01,256.98
iii	Loans and advances	96,36,518.34	95,89,067.24
	of which: Loans and advances to bank	5,42,775.46	5,42,775.46
	of which: Loans and advances to customer	90,93,742.88	90,46,291.78
iv	Fixed assets	89,567.95	89,313.61
v	Other assets	5,24,989.43	5,16,218.19
	of which: Goodwill and intangible assets	4,58,261.73	4,49,499.06
	of which: Deferred tax assets	66,727.70	66,719.13
vi	Goodwill on consolidation	9,107.79	0.14
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	Total Assets	1,52,58,789.73	1,49,55,576.57

Step 2:

(Rs. in Millions)

SI No	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref No.
		31.03.2023	31.03.2023	
A	Capital & Liabilities			
i	Paid-up Capital	10,355.34	10,355.34	
	of which: Amount eligible for CET	10,355.34	10,355.34	A
	of which: Amount eligible for AT1			

(Rs. in Millions)

SI No	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref No.
		31.03.2023	31.03.2023	
	Share Application Money Pending Allotment	0.00	0.00	
ii	Reserves & Surplus	10,40,191.83	10,14,621.52	
	Statutory Reserve	1,90,631.01	1,89,244.60	B
	Capital Reserve	1,40,640.62	1,40,640.62	C
	Share Premium	3,14,309.52	3,13,121.52	D
	General Reserve	0.00	0.00	
	Special Reserves u/s 36(i)(viii)(a) of I.T.Act, 1961	0.00	0.00	
	Special Reserve u/s 36(i)(viii) of I.T. Act	69,691.88	69,691.89	E
	Revenue & other reserve	2,30,878.17	2,12,315.92	F
	Investment Fluctuation Reserve	24,409.44	24,409.44	G
	Foreign Currency Translation Reserve	47,115.85	46,933.63	H
	Capital Hedge Reserve	1,608.93	1,608.93	
	Investment Reserve Account	43.65	43.65	
	Unallocated Profit	20,862.77	16,611.34	I
	Minority Share	9,945.90	6,193.22	J
i+ii	Total Capital	10,60,493.07	10,31,170.08	
iii	Deposits	1,23,46,820.01	1,23,47,815.90	
	Demand Deposit from Bank	39,901.77	39,774.58	
	Demand Deposit from Others	10,24,098.58	10,25,851.26	
	Savings Bank Deposits	37,80,789.04	37,80,786.12	
	Term Deposit from Banks	5,86,246.71	5,86,246.71	
	Term Deposit from Others	69,15,783.91	6,91,5157.23	
	Deposit from branches in India	1,05,47,104.75	1,05,49,107.68	
	Deposit from Branches Outside India	1,7,99,715.26	17,98,708.22	
iv	Borrowings	10,79,101.55	10,19,755.46	
	RBI (u/s 19 of RBI Act)	24,290.00	24,290.00	
	From banks	1,15,918.95	1,17,068.95	
	Other institutions and agencies	6,01,793.02	5,43,203.80	
	Perpetual Debt Instruments (PDI)	1,23,550.00	1,23,550.00	U
	Hybrid debt capital instrument issued as bonds	0.00	0.00	V
	Subordinated Bonds	1,11,169.40	1,08,815.00	T
	Long Term Infrastructure Bonds	10,000.00	10,000.00	

(Rs. in Millions)

SI No	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref No.
		31.03.2023	31.03.2023	
	Borrowings outside India	92,380.19	92,827.72	
v	Other liabilities & provisions	7,72,375.10	5,56,835.13	
	of which: Bills Payable	41,090.58	41,090.58	
	of Which: Inter Office Adjustment (Net)	24,280.97	24,280.97	
	of Which: Deferred tax liability	81.34	81.26	
	of Which: Interest Accrued	56,718.45	54,340.30	
	of Which: Contingent Provision against Standard Advances	77,437.20	77,246.84	X
	of Which: Other (including provision)	5,72,766.56	3,59,795.16	W
	Total	1,52,58,789.73	1,49,55,576.57	
B	Assets			
i	Cash In hand	10,23,733.89	10,16,349.04	
	Cash and balances with Reserve Bank of India	5,66,962.11	5,66,929.74	
	Balance with banks and money at call and short notice	4,56,771.77	4,49,419.31	
ii	Investments	39,74,872.34	37,44,628.34	
	Govt. Securities	33,98,193.78	33,43,404.06	N
	Other approved securities	102,513.05	14.14	O
	Shares	63,002.05	22,325.75	P
	Debentures & Bonds	3,01,740.46	2,72,762.84	Q
	Subsidiaries and/or JVs India & Abroad	18,829.07	4,864.57	R
	Other investments	90,593.93	1,01,256.98	S
iii	Loans and advances	96,36,518.34	95,89,067.24	
	Bills Purchased & Discounted	3,37,285.27	3,37,250.57	
	Cash Credits, Overdrafts & Loans Repayable on Demand	32,78,053.50	32,77,978.83	
	Term Loans	60,21,179.57	59,73,837.84	
iv	Fixed assets	89,567.95	89,313.61	
v	Other assets	5,24,989.43	5,16,218.19	L
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
	Out of which: Goodwill	0.00	0.00	
	Other intangibles (excluding MSRs)	4,58,261.73	4,49,499.06	
	Deferred tax assets	66,727.70	66,719.13	M

(Rs. in Millions)

SI No	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref No.
		31.03.2023	31.03.2023	
vi	Goodwill on consolidation	9,107.79	0.14	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	1,52,58,789.73	1,49,55,576.57	

Step 3:

(Rs. in Millions)

Common Equity Tier 1 capital (CET1): instruments and reserves		
SI No	Particulars	Component of regulatory capital reported by Bank
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non - joint stock companies) capital plus related stock surplus	3,23,476.86
2	Retained earnings	5,71,229.09
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	59,630.20
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	1,732.11
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	9,56,068.27
7	Prudential valuation adjustments	0.00
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00

DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments as on 31.03.2023

Disclosures pertaining to debt capital instruments and the terms and conditions of debt capital instruments have been disclosed separately. [Click here](#) to access the disclosures.

DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments as on 31.03.2023

The details of Capital instruments are separately disclosed. Click the related links to view the terms and conditions of the capital instruments.

SI No	Instruments
1	BASEL III ADDITIONAL TIER I SR –X
2	BASEL III ADDITIONAL TIER I SR –XI
3	BASEL III ADDITIONAL TIER I SR –XII
4	BASEL III ADDITIONAL TIER I SR –XIII
5	BASEL III ADDITIONAL TIER I SR – XIV
6	BASEL III ADDITIONAL TIER I SR – XV
7	BASEL III ADDITIONAL TIER I SR – XVI
8	BASEL III ADDITIONAL TIER I SR – XVII
9	BASEL III ADDITIONAL TIER I SR – XVIII
10	BASEL III ADDITIONAL TIER I SR – XIX
11	BOND SERIES –XXII
12	BOND SERIES –XIX
13	BOND SERIES –XVIII
14	BOND SERIES –XX
15	BOND SERIES –XXI
16	BOND SERIES –XII - (UPPER)
17	BOND SERIES –XVI
18	BOND SERIES –XVII
19	BOND SERIES –XXIII
20	BOND SERIES –XXIV
21	BASEL III - SERIES-XIII (LOWER) (eDena)
22	BASEL III - SERIES-XIV (LOWER) (eDena)
23	BASEL III - SERIES-VIII (eVijaya)
24	BASEL III - SERIES - IX (eVijaya)
25	BASEL III - SERIES - X (eVijaya)
26	BASEL III - SERIES – XI (eVijaya)

DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

Not applicable, as this disclosure is applicable for Private sector and Foreign banks operating in India.

DF-16: Equities- Disclosure for Banking Book Positions as on 31.03.2023

Qualitative Disclosures:

Bank of Baroda Group makes direct investments in public and private equity securities; Also investments in debt securities and loans, public and private equity securities and real estate entities. These investments are typically longer-term in nature and are primarily held for capital appreciation purposes; they are therefore classified for regulatory capital purposes as banking book equity investments.

The general qualitative disclosure with respect to equity risk, including: All equity HTM investments are in Foreign and Indian Subsidiaries, JVs and RRBs. These are of Strategic in nature.

Quantitative Disclosures:

Investments classified under Held to Maturity category need not be marked to market and will be carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium should be amortized over the period remaining to maturity. Since the Bank has consistently been following the Weighted Average Cost (WAC) method of accounting, the WAC will be the acquisition cost for the purpose of shifting and also for the calculation of premium for amortization.

The Bank is recognizing any diminution, other than temporary, in the value of their investments in subsidiaries/ joint ventures, which are included under Held to Maturity category and provided for. Such diminution is determined and provided for each investment individually.

(Rs in Crores)

SI No	Item	Amount
1	Investments	5,780.06
1.1	As per Balance Sheet	5,774.81
1.2	Fair Value	5,774.81
	For quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	-
2	Type of investment	
2.1	HTM	-
2.1.1	Publicly traded	-
2.1.2	Privately held	5,780.06
3	Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	-
4	Total unrealized gains (losses)*	-
5	Total latent revaluation gains (losses)**	-

(Rs in Crores)

SI No	Item	Amount
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	-
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the Bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	

**Unrealised gains (losses) recognised in the balance sheet but not through the profit and loss account.*

***Unrealised gains (losses) not recognised either in the balance sheet or through the profit and loss account.*

DF-17: Summary Comparison of accounting assets vs Leverage Ratio exposure measure as on 31.03.2023

The leverage ratio has been calculated using the definitions of capital and total exposure. The Bank's leverage ratio, calculated in accordance with the RBI guidelines under consolidated framework is as follows:

Sl. No.	Items	(Rs. in Millions)
1	Total Consolidated Assets as per published financial statements	1,52,58,792.46
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation.	(30,600.75)
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure.	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	1,24,852.74
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	20,310.23
6	Adjustment for off balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposure)	10,36,556.90
7	Other adjustments	(3,03,213.16)
8	Leverage ratio exposure	1,61,06,698.42

DF-18: Leverage Ratio Common disclosure template as on 31.03.2023

SI No.	Items	(Rs. in Millions)
On-Balance sheet Exposures		
1	On-Balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	1,49,55,579.30
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(30,600.75)
3	Total On-balance sheet exposures	1,49,24,978.55
Derivative Exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	29,893.95
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	94,958.79
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin in derivatives transactions)	-
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deduction for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures	1,24,852.74
Securities Financing Transaction Exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	-
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14	CCR exposure for SFT assets	20,310.23
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposure	20,310.23
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	34,06,082.75
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(23,69,525.85)
19	Off-Balance sheet items	10,36,556.90
Capital and total exposures		

SI No.	Items	(Rs. in Millions)
20	Tier 1 capital	10,49,017.51
21	Total Exposures	1,61,06,698.42
Leverage Ratio		
22	Basel III leverage ratio	6.51%

Leverage Ratio (Solo) as on 31.03.2023

Capital and total exposures (Rs. in Millions)	
Tier 1 capital	9,75,827.40
Total Exposures	1,56,90,852.79
Leverage Ratio	
Basel III leverage ratio	6.22%